



कार्यालय सहायक आयुक्त,  
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर प्रभाग दमोह-  
5, सिविल लाइन्स, सागर (म. प्र.)  
Office of The Assistant Commissioner,  
Central Goods & Service Tax Division- Damoh  
5, Civil Lines, Sagar (M.P.) - 470001  
Ph: 07582-351021 e-mail: cgstdivdamoh@gmail.com



पत्रसंख्या: I(11)4/2016/प्रशा.II/दमोह/

सागर, दिनांक: 13/05/2026

**निविदा आमंत्रण सूचना**

**NOTICE INVITING TENDER**

सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज-कार्यालय (म.प्र.) के लिए  
छतरपुर (म.प्र.) में कार्यालय परिसर को किराये पर लेने हेतु  
FOR HIRING OF OFFICE PREMISES AT CHHATARPUR(M.P.)  
FOR OFFICE OF THE CGST RANGE - CHHATARPUR & PANNA(M.P.)

1. सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रेंज- छतरपुर एवं पन्ना (म.प्र.) के कार्यालय के लिए नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए स्थान पर 3 (तीन) वर्षों की प्रारंभिक अवधि, निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित विशिष्टताओं और सुविधाओं के साथ, यदि विभाग द्वारा आवश्यक हो तो समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है, केलिएकार्यालय परिसर को किराए पर लेने के लिए एकल चरण दो-बोली प्रणाली पर ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। **मैन्युअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।**

Online bids are invited on single stage two-bid system for hiring of office premises for the office of CGST & Central Excise, Range - CHHATARPUR & PANNA (M.P.) at the place shown in the table given below for an initial period of 3 (Three) years which may be extended from time to time, if required by the Department, having specifications and facilities as mentioned in the tender document. **Manual bids will not be accepted.**

क्रम संख्या S.No.	विवरण/Description
1.	परिसर का शुद्ध कालीन क्षेत्र: लगभग <b>1138.57 वर्ग फीट (105.77 वर्ग मीटर)</b> (+/- 10%) Net Carpet Area of Premises: approx. <b>1138.57 Sq. ft. (105.77 Sq. Mtr.)</b> (+/- 10%)
2.	परिसर छतरपुर में निविदा में निर्दिष्ट स्थान और अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, अधिमानतः शहर में। Premises should be in CHHATARPUR conforming to the location and other requirements specified in the tender, preferentially in the city

2. **दस्तावेज़ डाउनलोड:** निविदा दस्तावेज़ सीबीआईसी की वेबसाइट [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) से और सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जबलपुर की वेबसाइट <http://gstjabalpur.gov.in> (केवल संदर्भ के लिए) और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर महत्वपूर्ण तिथि पत्र में दिए गए शेड्यूल के अनुसार डाउनलोड किए जा सकते हैं। यदि निम्नलिखित में से किसी भी तारीख को बाद में इस कार्यालय के लिए अवकाश/बंद का दिन घोषित किया जाता है, तो निविदाएं अगले कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।

**Document Download:** Tender documents may be downloaded from CBIC website [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) and CGST & Central Excise Jabalpur website <http://gstjabalpur.gov.in/> (for reference only) and Central Public Procurement Portal (CPPP) website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> as per the schedule as given in CRITICAL DATE SHEET as under. In the event of any of the under-mentioned date being subsequently declared as a holiday / closed day for this office, the tenders will be opened on the next working day at the scheduled time.

*[Signature]*  
13.05.26

*[Signature]*  
13/05/26

*[Signature]*  
13/05/26

*[Signature]*  
13/05/26

**डेटा शीट/Date Sheet**

मद/Item	विवरण/Description
किराये पर लेने वाले का नाम Name of the Hirer	सीजीएसटीऔरकेंद्रीयउत्पादशुल्कप्रभागदमोह CGST & Central Excise Division Damoh
निविदा आमंत्रण प्राधिकारी Tender Inviting Authority	सहायकआयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोह Assistant Commissioner of CGST & Central Excise DivisionDamoh
निविदा का नाम Tender Name	सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्करेंजटीकमगढ़के लिए कार्यालय परिसर को किराए पर लेना Hiring of Office Premises for CGST & Central Excise Range CHHATARPUR & PANNA
निविदा क्रमांक एवं दिनांक Tender No. and Date	पत्रसंख्या: I(11)4/2016/प्रशा.II/दमोह/दिनांक 13/05/2026 F. No.I(11)4/2016/प्रशा.II/दमोह/ dated 13/05/2026
चयन की विधि Method of Selection	खुला प्रस्ताव/निविदा /Open Tender
निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता Availability of Tender Documents	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। To be downloaded from Central Public Procurement Portal at <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/app">https://eprocure.gov.in/eprocure/app</a>
निविदा सूचना जारी करने की तिथि और समय Date and time of Tender notice issuance	## As per the CPP Portal
बोली-पूर्व बैठक की तारीख, समय और स्थान Pre-bid Meeting Date, Time & Place	## As per the CPP Portal
बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि और समय (पर या उससे पहले) Last date and time for Bid/Proposalsubmission (On or before)	## As per the CPP Portal
तकनीकी बोली खोलने का समय, दिनांक एवं स्थान Technical Bid Opening Time, Date & Venue	## As per the CPP Portal
वित्तीय बोली खोलने का समय, दिनांक और स्थान Financial Bid Opening Time, Date & Venue	## As per the CPP Portal
बोली प्रस्तुत करने की भाषा Language of Bid Submission	हिंदी/अंग्रेजी Hindi/ENGLISH
मुद्रा Currency	भारतीय रुपये (INR) Indian Rupees (INR)
संचार और स्पष्टीकरण मांगने के लिए नाम और पता Name and Address for Communication and seeking clarification	श्री महेशचंद्रमीना, सहायकआयुक्त, केन्द्रीयवस्तुएवसेवाकर, प्रभाग - दमोह(मध्यप्रदेश)07582-351021, मोबाइल - 9408435882 Shri Mahesh Chandra Meena (Assistant Commissioner), CGST Division - Damoh (M.P.)07582-351021, Mobile - 9408435882
किराये की अवधि Period of Hiring	किराये के परिसर पर कब्जे की तारीख से तीन साल तक प्रभावी Three years w.e.f. date of Possession of the Hired Premises

**महत्वपूर्ण तिथि पत्र/CRITICAL DATE SHEET**

प्रकाशित तिथि Publish Date	<i>As per the CPP Portal</i>
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड/बिक्री आरंभ तिथि Bid Document Download / Sale Start Date	<i>As per the CPP Portal</i>
बोली जमा करने की तिथि Bid Submission Start Date	<i>As per the CPP Portal</i>
बोली-पूर्व बैठक की तारीख Pre-bid Meeting Date	<i>As per the CPP Portal</i>
बोली दस्तावेज़ डाउनलोड/बिक्री समाप्ति तिथि Bid Document download/ Sale End Date	<i>As per the CPP Portal</i>
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि Bid Submission End Date	<i>As per the CPP Portal</i>
तकनीकी बोली खोलने की तिथि Technical Bid Opening Date	<i>As per the CPP Portal</i>
वित्तीय बोली खोलने की तिथि Financial Bid Opening Date	<i>As per the CPP Portal</i>

**3. निविदा शर्तें/Tender Conditions:**

**बोली प्रस्तुत करना/Bid Submission:**

- (i) बोलियां केवल सीपीपीपी वेबसाइट: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन जमा की जाएंगी। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने के लिए <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> (तत्काल संदर्भ के लिए अनुबंध-VI में दिया गया है) पर उपलब्ध निर्देशों "ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोलियाँ ई-सबमिट करने के लिए बोलीदाताओं को विशेष निर्देश" का पालन करें। बोली दस्तावेजों को काले और सफेद विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज के आकार को कम करने में मदद करता है।  
Bids shall be submitted online only at CPPP website: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. Tenderer are advised to follow the instructions "Special Instructions to Bidders for e-submission of the bids online through e-Procurement Portal" available on the <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> (given at Annexure-VI for ready reference) for online submission of bids. Bid documents may be scanned with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
- (ii) एक निविदाकर्ता द्वारा एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। हालाँकि, यदि किसी विशेष बोलीदाता के पास एक से अधिक परिसर हैं और वह उन परिसरों के संबंध में बोलियाँ प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे ऐसे प्रत्येक परिसर के संबंध में तकनीकी बोली, वित्तीय बोली और ईएमडी वाली अलग-अलग बोलियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।  
Not more than one tender shall be submitted by one tenderer. However, in case a particular bidder owns more than one premises and he wishes to submit bids in respect of those premises, he should submit separate bid(s) containing technical bid, financial bid and EMD in respect of each of such premises. A breach of these conditions will render the tenders liable to rejection.
- (iii) निविदाकर्ता को "बयाना राशि" के रूप में "सहायक आयुक्त, केन्द्रीयवस्तुएवसेवाकर, प्रभाग-दमोह" के पक्ष में 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) की बैंक गारंटी या सावधि जमा रसीद (एफडीआर) प्रदान करनी होगी। जमा (ईएमडी), कम से कम छह (06) महीने के लिए वैध है, और बोली जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभाग - दमोह के कार्यालय में निविदा आमंत्रित प्राधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। लागू शुल्क निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा और इस संबंध में

उसका सरकार पर कोई दावा नहीं होगा। ईएमडी के साथ न होने वाली निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी उपक्रम फर्मों/एमएसएमई को ईएमडी के भुगतान से छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया के अंत में सभी असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी और इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हालाँकि, यदि सफल बोलीदाता अपना नाम वापस ले लेता है या निविदा चयन प्रक्रिया के दौरान बोली दस्तावेजों में दिए गए विवरण गलत या असत्य पाए जाते हैं तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

The tenderer must provide Bank Guarantee or Fixed Deposit Receipt (FDR) of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only), in favor of the "Assistant Commissioner, CGST Division – Damoh", as 'Earnest Money Deposit' (EMD), valid for atleast six (06) months, and must reach the tender inviting authority at Office of CGST & Central Excise Division – Damoh on or before Bid Submission End Date. The applicable charges shall be borne by the tenderer and he shall not have any claim what so ever on this account on Government. Tender not accompanied with the EMD is liable to be rejected. However, public sectors undertaking / Govt. undertaking firms/MSMEs are exempted from the payment of EMD. EMD will be returned to all the unsuccessful bidder(s) at the end of the selection process and no interest shall be paid on it. However, the EMD shall be forfeited in case the successful bidder withdraws or the details furnished in the bid documents are found to be incorrect or false during the tender selection process

- (iv) इच्छुक व्यक्ति जो कानूनी मालिक या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक हैं, जिसने केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) की निर्दिष्ट वेबसाइट [वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app](https://eprocure.gov.in/eprocure/app) से निविदा डाउनलोड की है, वह डाउनलोड किए गए वित्तीय बोली टेम्पलेट सहित निविदा फॉर्म में किसी भी तरह से छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी तरह से हेराफेरी/संशोधन पाया गया तो निविदा पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी और ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

Interested persons who are legal owner or Power of Attorney holder, who has downloaded the tender from designated website of Central Public Procurement Portal (CPPP) [website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>], shall not tamper/modify the tender form including downloaded financial bid template in any manner. In case if the same is found to be tempered/modified in any manner, tender will be completely rejected and EMD would be forfeited.

- (v) इच्छुक निविदाकारों को किसी भी शुद्धिपत्र / परिशिष्ट / संशोधन के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक नियमित रूप से सीबीईसी वेबसाइट [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in), सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क जबलपुर की वेबसाइट <http://gstjabalpur.gov.in/> और सीपीपीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जाने की सलाह दी जाती है।

Intending tenderers are advised to visit the CBIC website [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in); CGST & Central Excise Jabalpur website <http://gstjabalpur.gov.in/> and CPPP website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> regularly till closing date of submission of tender for any corrigendum / addendum / amendment.

### निविदा प्रस्तुत करना/Submission of Tender

- (i) निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। जैसे (क) "तकनीकी बोली" जिसमें भवन का पता, कालीन क्षेत्र के साथ-साथ निर्मित क्षेत्र, निर्माण का वर्ष, परिसर का डिजाइन, पर्याप्त पार्किंग स्थान की उपलब्धता और शर्तों में दिए गए अन्य आवश्यकताएं जैसे तकनीकी पैरामीटर शामिल होने चाहिए। इसके साथ संलग्न शर्तों और (ख) "वित्तीय बोली" जिसमें प्रति वर्ग फुट लिए जाने वाले प्रस्तावित किराए और अन्य वित्तीय नियमों और शर्तों का उल्लेख होना चाहिए।

The tender should be submitted online in two parts viz. (a) "Technical Bid" which should contain technical parameters like Address of the building, Carpet area as well as Built Up area, year of construction, design of the premises, availability of sufficient parking space and other requirements as given in the terms and conditions attached herewith and (b)

"Financial Bid" which should indicate the rent proposed to be charged per square feet and other financial terms and conditions.

- अपलोड की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठों को अपलोड करने से पहले दस्तावेजों की सामग्री की प्रकृति केबावजूद बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित और क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए।  
All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.
- टेलीग्राम/फैक्स/ईमेल/पोस्ट/कूरियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में किसीभीपत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।  
The offers submitted by telegram/fax/email/post/courier shall not be considered.No correspondence will be entertained in this matter.

### तकनीकी बोली/Technical Bid:

निविदा दस्तावेज के अनुसार बोलीदाता को 'तकनीकी बोली' के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

The following documents are to be furnished by the bidder along with the 'Technical Bid' as per the tender document:

- बयाना राशि जमा के भुगतान के लिए सबूत की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति।  
Signed and scanned copy of proof for payment of Earnest Money Deposit.
- 'तकनीकी डेटा शीट' की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतिलिपि (अनुबंध - II देखें)।  
Signed and scanned Copy of the 'Technical Data Sheet' (refer Annexure-II).
- स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटी पंजीकरण की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति।  
Signed and scanned copy of Permanent Account Number (PAN) & GST Registration.
- यदि मालिक/मुख्तारनामा धारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो 'बोली जमा करने के लिए प्राधिकरण पत्र' की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति।  
Signed and scanned copy of the 'Letter of Authorisation to submit bids' if submitted by the person other than the owner(s)/power of attorney holder.
- घोषणा की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति (अनुलग्नक-IV देखें) और निविदा स्वीकृति पत्र (अनुबंध V देखें)।  
Signed and scanned Copy of the Declaration (refer Annexure-IV) and Tender Acceptance Letter (refer Annexure-V).
- परिसर के स्वामित्व को दर्शाने वाले "टाइटल डीड" की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतिलिपि या भूमि मालिक के पास पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रतिलिपि (स्वामित्व के सबूत / पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रतिलिपि)  
Signed and scanned Copy of the "Title Deed" showing the ownership of the premises or copy of Power of Attorney with the land owner (Copy of proof of ownership / Power of attorney)
- मालिक/मालिकों/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक से हस्ताक्षरित और स्कैन की गई 'शपथ पत्र' की प्रति और यदि टेंडर पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो किसी भी मुकदमेबाजी / देनदारी / लंबित बकाया और करों से मुक्त होने के लिए किराए पर देने के लिए प्रस्तावित आवास के संबंध में ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी धारक से एक शपथ पत्र।  
Signed and scanned Copy of the 'Affidavit' from owner(s)/power of attorney holder and if tender is submitted by the power of Attorney Holder, an Affidavit from such power of Attorney Holder regarding accommodation offered for hiring being free from any litigation / incumbrances/ / Liability /pending dues and taxes.

- स्थानीय विकास प्राधिकरण या किराए/किराए के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित ड्राइंग की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतिलिपि, भूमि विलेख की प्रमाणित प्रति, नगर निगम कर रसीदें।  
Signed and scanned Copy of the approved drawings from LOCAL DEVELOPMENT AUTHORITY or any other competent authority of the area offered for rent/hire, certified copy of Land Deed, Municipal Corporation tax receipts.
- प्रस्तावित संपत्ति के स्थान मानचित्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति  
Signed and scanned Copy of the Location Map of the proposed property
- सक्षम प्राधिकारी से कालीन क्षेत्र के सटीक माप के साथ प्रस्तावित परिसर के अनुमोदित लेआउट प्लान की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति।  
Signed and scanned Copy of the Approved layout plan of the offered premises with exact measurement for carpet area, from the competent authority.
- सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित स्थान/भवन के 'पूर्णता प्रमाणपत्र'/'अधिभोग प्रमाणपत्र' की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति।  
Signed and scanned Copy of the 'Completion Certificate'/'Occupancy Certificate' of the offered space / building from the competent authority.

### वित्तीय बोली/Financial Bid:

निविदा दस्तावेज़ के अनुसार बोलीदाता को 'वित्तीय बोली' के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:

The following documents are to be furnished by the bidder along with the 'Financial Bid' as per the tender document:

- "वित्तीय बोली" (अनुलग्नक-III) की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति। किराये की मासिक दर अन्यत्र उद्धृत न करें। दर प्रति वर्ग फुट कालीन क्षेत्र का विवरण केवल बीओक्यू फॉर्मेट (.एक्सएलएसफ़ाइल) में दर्शाया जाना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दर प्रति वर्ग मीटर फुट कालीन क्षेत्र में जीएसटी को छोड़कर सामान्य सुविधाओं के रखरखाव के लिए सेवाओं की सभी लागत/शुल्क, कर आदि शामिल होंगे।  
Signed and scanned copy of the "Financial Bid" (Annexure-III). **Do not quote the monthly rate of rent elsewhere. The rate per Sq. Ft. of carpet area should be indicated only in the BoQ Format (.xls file).** It is to be noted that the rate per Sq. Ft. of carpet area is to be inclusive of all costs of services / charges for the maintenance of common facilities, taxes etc. except GST.
  - अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर कानूनी मालिक या उसके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपक्रम की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति कि बोली लगाने वाला वैधता अवधि के दौरान सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग - दमोहके सहायक आयुक्त को दिए गए प्रस्ताव/प्रस्तावों से पीछे नहीं हटेगा/रद्द नहीं करेगा।  
Signed and scanned copy of the undertaking on non-judicial stamp paper of requisite value duly signed by legal owner or his power of attorney holder that the bidder shall not back out / cancel the offer / offers made to the Assistant Commissioner of CGST & Central Excise Division - Damoh during the validity period.
- (ii) बोली लगाने वाले को 'तकनीकी बोली' में किराए और अन्य वित्तीय विवरण बताने से बचना चाहिए और यदि वे ऐसा करते हैं, तो बोली खारिज कर दी जाएगी।  
The bidder should refrain from indicating the rents and other financial details in the 'technicalbid' and if they do so, the bid will be rejected.

#### 4. महत्वपूर्ण नोट/IMPORTANT NOTE:

क. पार्किंग क्षेत्र, स्थान और निर्माण की गुणवत्ता आदि के आधार पर किराए को अंतिम रूप देना सीपीडब्ल्यूडी / हायरिंग कमेटी द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन है और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन और मंजूरी के अधीन भी है।

Finalization of rent based on parking area, location & quality of construction etc. is subject to certification by CPWD / hiring committee and is also subject to the final approval & sanction by Government of India, as per rules framed in this regard.

ख. बोलियां सहायक आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग दमोह के कार्यालय में निर्धारित तिथि और समय पर ऑनलाइन खोली जाएंगी। तकनीकी और वित्तीय बोलियां खोलने की तारीखों के संबंध में अलग से कोई संचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बोलियां खोलने की तारीख या समय में कोई बदलाव न हो। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद, बोलीदाताओं को वेबसाइट पर उनकी पात्रता/पूर्व-योग्यता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद, सफल बोलीदाताओं को एक सिस्टम जनित ई-मेल पुष्टिकरण भेजा जाएगा जिसे पोर्टल पर बोलीदाताओं द्वारा जांचा जा सकता है। सफल बोलीदाताओं (तकनीकी बोली में योग्य पाए गए) की वित्तीय बोलियों को डिक्रिप्ट किया जाएगा और बोली खोलने वालों द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर ऑनलाइन खोला जाएगा। बोलीदाताओं को वेबसाइट पर उनकी वित्तीय बोली की स्थिति और बोलीदाताओं की रैंकिंग के बारे में जानकारी मिल जाएगी।

The bids will be opened online at the office of the Assistant Commissioner, CGST & Central Excise Division - Damoh (at Sagar (M.P.)) at the scheduled date and time. No further communication shall be made separately regarding dates of opening of Technical & Financial Bids unless there is any change in date or time of opening of bids. After evaluation of the technical bids, bidders will get the information regarding their eligibility/pre-qualification on website. Thereafter, a system generated e-mail confirmation will be sent to the successful bidders which can be checked by the bidders on the portal. The financial bids of the successful bidders (found to be qualified in the technical bid) will be decrypted and opened online on the schedule date and time by the bid openers. The bidders will get the information regarding the status of their financial bid and ranking of bidders on the website.

ग. ईएमडी के संबंध में मूल दस्तावेज की हार्ड कॉपी, उपक्रम/शपथ पत्र की मूल प्रति, प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां और अन्य आवश्यक दस्तावेज अंतिम बोली जमा करने की तारीख पर या उससे पहले निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को उसके कार्यालय में पहुंचाए जाने चाहिए।, जैसा कि महत्वपूर्ण तिथि पत्र में उल्लिखित है। तकनीकी बोली ऑनलाइन खोलने के बाद, ई-टेंडर दस्तावेज की आवश्यकता के अनुसार मूल दस्तावेजों को सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, प्रभाग-दमोह के कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा, निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में सत्यापन के उद्देश्य से किराए के लिए प्रस्तावित परिसर से संबंधित किसी भी मूल दस्तावेज की मांग करने का अधिकार सुरक्षित है।


The hard copy of the original instrument in respect of the EMD, original copy of undertaking/affidavits, self-attested copies of the certificates and other requisite documents must be delivered to the tender inviting authority in his office on or before the last bid submission date, as mentioned in the critical date sheet. After opening of the Technical Bid online, the original documents as per the requirement of e-tender document will be verified by the office of the Assistant Commissioner CGST & Central Excise Division Damoh reserves the right to seek any document in original related to the premises offered for hire for the purpose of verification at any stage of the tender process.

घ. निम्नलिखित अनुबंध इस निविदा दस्तावेज का हिस्सा हैं:

Following Annexures form part of this tender document:

- i) सामान्य निर्देश और नियम एवं शर्तें: अनुबंध -I  
General Instructions and Terms & Conditions: Annexure-I
- ii) तकनीकी बोली का प्रारूप: अनुबंध- II (अंडरटेकिंग के साथ)  
Formats of Technical Bid: Annexure-II (with Undertaking)

- iii) वित्तीय बोली का प्रारूप: अनुबंध-III  
Format of Financial Bid: Annexure-III
- iv) घोषणा: अनुबंध-IV  
Declaration: Annexure-IV
- v) निविदा स्वीकृति पत्र: अनुबंध-V  
Tender acceptance letter: Annexure-V
- vi) ऑनलाइन बोली जमा करने के निर्देश: अनुबंध-VI  
Instructions for online bid submission: Annexure-VI
- vii) मानक पट्टा समझौते का प्रारूप: अनुबंध-VII  
Format of Standard Lease Agreement: Annexure-VII
- viii) .एक्सएलएसप्रारूप में बीओक्यू (मात्रा का बिल)।  
BoQ (Bill of Quantity) in .xls format

  
13/5/2016

(महेशचंद्रमीना / Mahesh Chandra Meena)  
सहायक आयुक्त / Assistant Commissioner  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर / CGST,  
प्रभाग - दमोह (मध्य प्रदेश)  
Central Goods & Services  
Division, DAMOH (M.P.)

**अनुबंध/ANNEXURE-I**  
**नियम और शर्तें:**  
**TERMS AND CONDITIONS:**

1. परिसर के वास्तविक मालिक / पावर ऑफ अटॉर्नी धारक, जिनके पास उक्त परिसर पर फ्रीहोल्ड टाइटल है, और जो कानून के अनुसार सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज छतरपुर एवं पन्ना के कार्यालय के लिए परिसर को पट्टे पर दे सकते हैं, उन्हें ही निविदा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बिचौलियों या दलालों की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।  
Bonafide owners of the premises / power of attorney holder, who possess freehold title on the said premises, and who can as per the law lease the premises for office of CGST & Central Excise Range chhatarpur & panna are only invited to participate in the tender. Tender from intermediaries or brokers will not be entertained.
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी निकायों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।  
The offers received from Public Sector Undertakings/Government bodies would be given preference.
3. किसी भी कारण से नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और यह कार्यालय निविदा दस्तावेजों की डिलीवरी में किसी भी हानि या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।  
Tenders received after the due date and time, for whatever reason, shall not be entertained and this office shall not be responsible for any loss or delay in delivery of the Tender documents.
4. संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरणों या स्थानीय प्राधिकरण से भवन का अनुमोदित भूमि उपयोग "व्यावसायिक" होना चाहिए।  
The approved land use of the building from the respective State Government Authorities or Local Authority should be "commercial".
5. इमारत स्थानीय विकास प्राधिकरण/नगरपालिका प्राधिकरण या अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट सभी भवन मानदंडों और सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए।  
The building should be conforming to all the building norms and safety norms as specified by local Development Authority/ Municipal Authorities or other Govt. Agency.
6. भवन के पास संबंधित स्थानीय विकास प्राधिकरण/नगरपालिका प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन/मंजूरी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र/अधिभोग प्रमाण पत्र होना चाहिए।  
The building should have all the necessary approvals/clearance from the concerned local Development Authority/Municipal Authorities and Completion Certificate/Occupancy Certificate issued by the competent authority.
7. इमारत अग्निशमन मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए और संबंधित अग्निशमन विभाग से मंजूरी प्रमाण पत्र / एनओसी होनी चाहिए। इमारत को कानून के तहत अपेक्षित अन्य सभी सुरक्षा मानदंडों जैसे भूकंप और बाढ़ प्रतिरोध आदि का भी पालन करना चाहिए।  
The building should be conforming to the fire-fighting norms and should have clearance certificate / NOC from the concerned Fire department. The building should also be complying to all other safety norms like earthquake and flood resistance etc. as required under the law.
8. प्रस्तावित परिसर को नीचे निर्दिष्ट न्यूनतम सुख-सुविधाएँ/सुविधाएँ का पालन करना होगा:

The premises offered must comply with the minimum amenities/facilities as specified below:

- i. भवन पर्याप्त चौड़ी सड़क पर स्थित होना चाहिए और प्रस्तावित भवन तक पहुंचने का रास्ता सुविधाजनक और गैर-भीड़भाड़ वाला होना चाहिए।  
The building should be located on sufficiently wide road and the approach to the offered building should be convenient and non-congested.
- ii. इमारत चौबीसों घंटे चालू रहनी चाहिए ताकि सामान्य कामकाजी घंटों के बाद और गैर-कार्य दिवसों पर कार्यालय का काम बाधित ना हो या ना रूके।  
The building should be operative 24 x 7 so that the office work beyond normal working hours and on non-working days is not hampered or stalled.
- iii. किराए पर लेने वालों के उपयोग के लिए विशेष रूप से पर्याप्त निर्धारित / आरक्षित पार्किंग (चार पहिया वाहनों के लिए न्यूनतम 3से 4और दो पहिया वाहनों के लिए लगभग 10से 12) प्रदान की जानी चाहिए। उपरोक्त पार्किंग स्थान के अलावा, आगंतुकों के लिए कार/दोपहिया वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए।  
Sufficient earmarked / reserved parking (minimum 3 to 4 for four wheelers and about 10 to 12 for two wheelers) exclusively for use of the hirer must be provided. In addition to above parking space, ample space for car/ two-wheeler parking should be available for visitors.
- iv. किराए के लिए प्रस्तावित संपूर्ण कार्पेट क्षेत्र एक ही भवन में स्थित होना चाहिए और यह सन्निहित होना चाहिए। यदि प्रस्तावित स्थान कई मंजिलों में है; यह सन्निहित मंजिलों में होना चाहिए। पूरी मंजिल को विशेष रूप से सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयरेंज छतरपुर एवं पन्ना के लिए आरक्षित करके प्रस्तावित स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी।  
The entire carpet area offered for rent should be located in one building and it should be contiguous. If the offered space is in multiple floors; it should be in contiguous floors. The space offered by reserving the entire floor(s) exclusively for Office of CGST & Central Excise Range chhatarpur & panna shall be preferred.
- v. यदि संपूर्ण कार्यालय स्थान भूतल पर नहीं है, तो भवन में सुनिश्चित पावर बैकअप के साथ विद्युत चालित लिफ्टों का प्रावधान होना चाहिए। यदि लिफ्ट विशेष रूप से सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज छतरपुर एवं पन्ना कार्यालय के उपयोग के लिए आरक्षित/नामित है तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी। विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1996 के मद्देनजर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट या कोई उचित व्यवस्था सुलभ होनी आवश्यक है।  
The building should have provision for electrically operated lifts with assured power backup, if the entire office space is not on ground floor. It would be preferred if the lift is reserved/designated exclusively for use of Office of CGST & Central Excise Range chhatarpur & panna. The lift or any appropriate arrangement is required to be accessible for the physically challenged persons in view of the Persons with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights and full Participation) Act, 1996 to create barrier free environment for persons with disabilities.
- vi. किराए के लिए प्रस्तावित संपूर्ण कालीन क्षेत्र किराए पर लेने वाले के विशेष उपयोग के लिए होना चाहिए और इस क्षेत्र से किसी अन्य व्यक्ति को गुजरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।  
The entire carpet area offered for rent should be for exclusive use of the hirer and no passage of any other person should be allowed through this area.

- vii. भवन में पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और उचित वेंटिलेशन होना चाहिए।  
The building should have adequate natural lighting and proper ventilation.
- viii. यदि प्रस्तावित क्षेत्र हॉल/कमरों के रूप में है, तो सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार बोलीदाता द्वारा केबिन बनाने के लिए उपयुक्त विभाजन प्रदान किया जाएगा। इन विभाजनों को बनाने की लागत बोली लगाने वाले को वहन करनी होगी। इस कार्यालय द्वारा अपेक्षित केबिनों का अस्थायी विवरण इस प्रकार है –  
If the offered area is in the form of halls/Rooms, suitable partitions for making cabins shall be provided by the bidder as per the requirement of the Office of CGST & Central Excise. The cost of making these partitions should be borne by the bidder. The tentative details of the cabins required by this office are as under –

क्रम संख्या S.No.	केबिन/हॉलकीसंख्या Num ber of Cabins/ Halls	क्षेत्रफल (वर्गफुटप्रतिकमरालगभग) Area (Sq.Ft. per room aprox.)	कुलक्षेत्रफल लगभग (वर्गफुट) Approx. Total Area (Sq.Ft.)
1.	1	156	156
2.	3	118	354
3.	1	<b>आवश्यकताकेअनुसार</b> <i>As per requirement</i>	<b>आवश्यकताकेअनुसार</b> <i>As per requirement</i>

- ix. भवन में रोशनी, पंखे और अन्य विद्युत और सिविल फिटिंग और फिक्स्चर लगे होने चाहिए।  
The building should be fitted with lights, fans and other electrical and civil fittings and fixtures.
- x. प्रस्तावित परिसर में एयर कंडीशनिंग सुविधा स्थापित होनी चाहिए।  
The offered premises should have installed Air Conditioning facility.
- xi. भवन में प्रस्तावित क्षेत्र की प्रत्येक मंजिल पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग पर्याप्त शौचालय की सुविधा होनी चाहिए।  
The building should have adequate toilet facilities separately for Ladies and Gents on each floor of the proposed area.
- xii. परिसर में वाणिज्यिक संचालन के लिए उपयुक्त बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए और 100% पावर बैक-अप भी अनिवार्य है।  
The premises should have suitable power supply for commercial operations and also compulsorily to have 100% power back-up.
- xiii. परिसर सौंपते समय सभी आंतरिक और बाहरी दीवारों को अच्छी गुणवत्ता वाले पेंट से रंगा जाना चाहिए।  
All internal and external walls should be painted with good quality paint at the time of handing over the premises.
- xiv. सामान्य क्षेत्रों में सिरेमिक टाइल्स/मार्बल फर्श और वरिष्ठ अधिकारियों के केबिनों में विट्रीफाइड टाइल्स का प्रावधान होना चाहिए।  
There should be provision of ceramic tiles / marble flooring in general areas and vitrified tiles in the cabins of senior officers.
- xv. पट्टे की पूरी अवधि के दौरान, सामान्य क्षेत्र में सफाई और रखरखाव (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उपभोग्य सामग्रियों सहित प्लंबिंग आदि) मालिक की जिम्मेदारी होगी और मालिक समय-समय पर

मरम्मत भी करेगा। विभाग द्वारा इसके लिए कोई अतिरिक्त/अलग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। रखरखाव का दायरा मोटे तौर पर इस प्रकार होगा:

Throughout the period of lease, cleaning in common area and maintenance (civil, electrical, mechanical, plumbing including consumables etc.) shall be responsibility of the owner and the owner shall also carry out periodical repairs. No additional/ separate charges shall be paid for the same by the Department. The scope of maintenance would be broadly as under:

- चौबीसों घंटे परिसर की सामान्य सुरक्षा, पहुंच नियंत्रण और आगंतुकों की आवाजाही को विनियमित करना।  
Round the clock general security to the premises, access control and regulating visitor movement.
- इमारत का समय-समय पर रखरखाव, जिसमें बाहरी हिस्सों और इमारत के सभी सामान्य क्षेत्रों की पेंटिंग/सफाई शामिल है।  
Periodical maintenance of the building, which includes painting/ cleaning of the exteriors and all the common areas of the building.
- फुटपाथ, परिदृश्य, सामान्य उद्यान क्षेत्र और इसके लिए उपभोग्य सामग्रियों के प्रावधानों सहित सभी सामान्य क्षेत्रों की दैनिक हाउसकीपिंग और रखरखाव।  
Day to day housekeeping and maintenance of all common areas including pavement, landscape, common garden area and provisions of consumables for the same.
- एएमसी के भुगतान सहित सभी लिफ्टों का रखरखाव।  
Maintenance of all Elevators including payment of AMC.
- सामान्य क्षेत्र की रोशनी और उसके लिए उपभोग्य सामग्रियों का प्रावधान।  
Lighting of common area and provisions of consumables for the same.
- भवन निर्देशिका का प्रावधान एवं अंकन।  
Provision and marking of building directory.
- जल आपूर्ति प्रणाली का रखरखाव।  
Maintenance of water supply system.
- मुख्य भवन के विद्युत प्रतिष्ठानों, सामान्य विद्युत, पाइपलाइन और स्वच्छता लाइनों का रखरखाव।  
Maintenance of main building electrical installations, common electrical, plumbing and sanitary lines.
- सामान्य सेवाओं से संबंधित साइनेज का प्रावधान।  
Provisions of signage pertaining to common services.
- परिसर में स्थापित मोटरों और पानी पंपों का रखरखाव और संचालन।  
Maintenance and running of motors and water pumps installed at the premises.
- सामान्य डीजी सेट, एयर कंडीशनर का रखरखाव और संचालन और उनके बीमा और एएमसी का भुगतान।  
Maintenance and running of common DG sets, Air conditioners and payment of their insurance and AMC.
- परिसर के भीतर वाहन की आवाजाही को विनियमित करना।

Regulating vehicle movement within the premises.

- हरित क्षेत्र और लगाए गए पौधों का रखरखाव।  
Maintenance of green area and plotted plants.
- xvi. विभाग के पास पट्टा अवधि/विस्तारित पट्टा अवधि के दौरान किराए पर लिए गए कार्यालय स्थान के प्रभावी उपयोग के लिए विभाजन, कार्यालय फिक्स्चर, फिटिंग आदि के माध्यम से उपयुक्त परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।  
The Department reserves the right to carry out suitable alterations by way of partitions, office fixtures, fittings etc. for the effective use of the office space hired during the lease period/ extended lease period.
- xvii. मालिक को किराएदार की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन/परिवर्धन करने के लिए इच्छुक होना चाहिए और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।  
The owner should be willing to make alteration / additions as per requirement of the hirer and suitable provision is to be made for physically challenged persons.
- xviii. प्रस्तावित स्थान का लेआउट कर्मचारियों की संख्या के अनुसार विभिन्न हॉल/कमरों के लिए सीजीएसटीएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्ककार्यालयरेंज छतरपुर एवं पन्ना कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। मालिक को मौजूदा विभाजन/फिक्स्चर और फिटिंग में ऐसे बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है जैसा कि किरायेदार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है ताकि इसे इसके उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।  
The layout of the offered space should be in accordance with the requirement of Office of CGST & Central Excise Range CHHATARPUR & PANNA for various halls/rooms as per the staff strength. The owner may be required to carry out such alterations to the existing partitions / fixtures and fittings as may be specified by the hirer to make it suitable for its use.
- xix. विभिन्न उपयोगों के लिए परिसर में निरंतर जल आपूर्ति होनी चाहिए।  
There should be continuous water supply in the premises for various usages.
- xx. प्रस्तावित परिसर सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय की स्थापना के लिए सभी मानदंडों पर फिट होना चाहिए।  
The offered premises should be fit on all criteria for establishing Office of CGST & Central Excise.
- 9. प्रस्तावित परिसर सुरक्षित और उचित रूप से तैयार स्थिति में होना चाहिए और परिसर के मालिकों/ पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों को अपने प्रस्ताव की स्वीकृति की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिसर का कब्जा सौंपना होगा।  
The premises offered should be secure and in reasonably ready condition and the owners / power of attorney holders of the premises will have to hand over the possession of the premises within 30 days from the date of acceptance of their offer.
- 10. प्रस्ताव की वैधता अवधि के दौरान, बोलीदाता को तकनीकी या वित्तीय बोलियों में उद्धृत क्षेत्र और मूल्य और अन्य नियमों और शर्तों को वापस नहीं लेना चाहिए/संशोधित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, बोली लगाने वाले को अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर कानूनी मालिक या उसके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा हस्ताक्षरित एक वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि बोली लगाने वाला वैधता अवधि के दौरान सहायक आयुक्त,सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोहको दिए गए प्रस्ताव/प्रस्तावों से पीछे नहीं हटेगा/रद्द नहीं करेगा।

During the validity period of the offer, the bidder should not withdraw / modify in the terms of area and price and other terms and conditions quoted in Technical or Financial Bids. As such, the bidder is required to submit an undertaking on non-judicial stamp paper of requisite value duly signed by legal owner or his power of attorney holder that the bidder shall not back out / cancel the offer / offers made to the Assistant Commissioner of CGST & Central Excise Divisions-Damoh during the validity period.

11. प्रस्ताव के सभी अलग-अलग पृष्ठों पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और ओवरराइटिंग, यदि कोई हो, पर मालिक/मकान मालिक/पावर अटॉर्नी धारक या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

All the individual pages of the offer are to be signed and over-writing, if any, to be duly initialed by the owner / landlords / power attorney holders or his authorized signatory.

12. वित्तीय बोलियाँ इस संबंध में निर्धारित तिथि और समय पर खोली जाएंगी। केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी जिन्हें प्रस्तावित परिसर की उपयुक्तता, तकनीकी विशिष्टताओं के अनुपालन, उनकी साख और अन्य देनदारियों के सत्यापन के बाद लघु-सूचीबद्ध किया गया है। वित्तीय बोलियाँ खोलने की तारीख और समय पहले से ही तय है और इस संबंध में आगे कोई संचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, वित्तीय बोलियाँ खोलने के समय/तिथि में बदलाव के मामले में, बोलीदाताओं को वित्तीय बोलियाँ खोलने की बदली हुई तारीख और समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

The opening of the Financial Bids shall be done on the date and time fixed in this regard. The financial bids of only those bidders will be opened which are short-listed after assessing the suitability of the offered premises, compliance to technical specifications, verification of their credentials and other liabilities. The date and timing of opening of financial bids is already fixed and no further communication shall be made in this regard. However, in case of change in time / date of opening of financial bids, the bidders will be notified about the changed date and time of opening of financial bids.

13. जिन निविदाओं के साथ 'बयाना राशि' जमा नहीं की गई है, उन्हें गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और प्रारंभिक चरण में ही "ईएमडी के बिना प्राप्त निविदाएं" के रूप में खारिज कर दिया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। सफल बोली लगाने वाले को धरोहर राशि भी वापस कर दी जाएगी। कोई ब्याज देय नहीं है। हालाँकि, स्थान का कब्जा देने से इनकार करने की स्थिति में, बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

Tenders not accompanied with 'Earnest Money Deposit' will be treated as non-responsive and will be rejected at the initial stage itself "as Tenders received without EMD". After completion of the tender process, the EMD will be returned to the unsuccessful bidders. The successful bidder will also get the earnest money refunded. No interest is payable. However, in case of refusal of giving possession of the space, the earnest money will be forfeited.

14. सबसे पहले तकनीकी बोलियाँ खोली जाएंगी। यह सत्यापित करने के लिए परिसर का भौतिक निरीक्षण भी किया जाएगा कि परिसर इस निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों का अनुपालन करता है या नहीं। तकनीकी बोली स्वीकार करने से पहले, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग दमोह के सहायक आयुक्त द्वारा अधिकृत एक समिति द्वारा सभी दस्तावेजों और स्थान/भवन का निरीक्षण किया जाएगा और केवल उन परिसरों को खोलने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा जो उपयुक्त पाए गए और सभी प्रकार से पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। वित्तीय बोली और नियुक्ति/तकनीकी समिति का निर्णय अंतिम होगा। संपत्ति/भवन परिसर के अंदर प्रदान की जाने वाली/प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण तकनीकी बोली में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

The Technical bids shall be opened in the first instance. The physical inspection of the premises will also be carried out to verify whether the premises comply with the terms and

conditions of this tender document. Before accepting the Technical Bid, all the documents and space/Building shall be inspected by a committee authorized by the AssitantCommissioner of CGST & Central Excise Division Damoh and only those premises found suitable & meeting the eligibility criteria in all respects shall be proceeded with for opening the financial bid and such decision of the Hiring/Technical Committee shall be final. The particulars of amenities provided/proposed to be provided inside the property/building complex should be clearly indicated in the Technical Bid.

15. परिसर का कब्जा सीजीएसटीएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्ककार्यालयरेंज छतरपुर एवं पन्ना को उनकी आवश्यकता और विशिष्टताओं के अनुसार पूरा काम पूरा होने के बाद दिया जाएगा। कब्जे के बाद, यदि यह पाया जाता है कि कोई वस्तु या कार्य अप्राप्य रह गया है या उनके विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो मालिक/मकान मालिक को परिसर के कब्जे की तारीख से उचित समय के भीतर इसे पूरा करना होगा और मामले में किसी भी डिफॉल्ट पर, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोहके सहायक आयुक्त को अन्य एजेंसियों की सेवाओं का लाभ उठाकर उपरोक्त अधूरे कार्यों/कार्यों/वस्तुओं को पूरा कराने और मालिक/मकान मालिकों को देय किराए से खर्च की गई राशि की वसूली करने का अधिकार होगा।

The possession of the premises will be given to the Office of CGST & Central Excise Range CHHATARPUR & PANNA after completion of entire work as per their requirement and specifications. Subsequent to the possession, if it is observed that any item or work remains unattended or is not in accordance to their specifications, the owner/landlord will have to complete the same within a reasonable time from the date of possession of the premises and in case of any default, the AssitantCommissioner of CGST & Central Excise Division Damoh will have the right to get the above unfinished jobs/works/items completed by availing the services of other agencies and recover the amount so incurred from the rent payable to the owner / landlords.

16. चूंकि सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोहपट्टेदार/किराएदार है, मालिक/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को अपने (मालिक के) खर्च पर आग या प्राकृतिक आपदा जैसे जोखिमों के खिलाफ किराए पर लिए गए परिसर/परिसंपत्तियों का बीमा करना होगा। और सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोहएसे परिसरों/परिसंपत्तियों के संबंध में भविष्य में किसी भी तारीख को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी नहीं होगा।

Since the CGST& Central Excise Division Damohis the lessee/hirer, the owner/power of attorney holder has to insure the premises/assets rented/hired against risks like fire or natural calamity at his (owner's) own cost and the Office of CGST & Central Excise Division Damohwill not be responsible for and liable to make good any losses that may be sustained in any future date in respect of such premises/assets.

17. निर्माण/संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन और परिसर को सीजीएसटीएवंकेंद्रीयउत्पादशुल्ककार्यालयरेंज छतरपुर एवं पन्ना को पट्टे पर देने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक मंजूरी और अनुमतियां मालिक/मकान मालिक द्वारा अपनी लागत पर प्राप्त की जाएंगी।

All the statutory clearances and permissions required for construction/modification/additions/alterations and leasing of the premises to Office of CGST & Central ExciseRange CHHATARPUR & PANNA shall be obtained by the owner/ landlord at his own cost.

18. स्थान और निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर किराए को अंतिम रूप देना सीपीडब्ल्यूडी/हायरिंग कमेटी द्वारा प्रमाणीकरण और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार भारत सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन और मंजूरी के अधीन है।

Finalization of rent based on location and quality of construction is subject to certification by CPWD / hiring committee and subject to final approval and sanction by Government of India, as per rules framed in this regard.

19. सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोहकी संपूर्ण संतुष्टि के लिए संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों के कानूनी सत्यापन के बाद लीज समझौता निष्पादित किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क, लीज डीड के पंजीकरण के लिए स्टॉप शुल्क आदि मालिक/मकान मालिक द्वारा वहन किया जाना है।  
Lease agreement will be executed after legal verification of all documents related to the property to the entire satisfaction of the CGST & Central Excise Division Damoh. The registration charges, stamp duty for registration of lease deed etc. are to be borne by the owner /landlord.
20. बोली लगाने वाले को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित निर्धारित प्रारूप में मानक पट्टा समझौते (एसएलए) में प्रवेश करना आवश्यक है, जिसकी प्रति संदर्भ के लिए संलग्न है (अनुबंध-VII)।  
The bidder is required to enter into STANDARD LEASE AGREEMENT (SLA) in the prescribed format approved by the Central Government, the copy of which is enclosed for reference (Annexure-VII).
21. पट्टे की अवधि किराये के परिसर के कब्जे की तारीख से कम से कम तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए।  
The period of lease should be for duration of minimum Three (03) years from the date of possession of the hired premises.
22. सहायक आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोहके पास आवश्यकतानुसार इन नियमों और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।  
The Assistant Commissioner of CGST & Central Excise Division Damoh reserves the right to amend these terms and conditions as deemed necessary.
23. निविदा में भाग लेने के लिए सहायक आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोहसे कोई प्रतिबद्धता शामिल नहीं है। वह बिना कोई कारण बताए न्यूनतम निविदा सहित किसी भी/सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।  
Participation in the tender does not entail any commitment from the Assistant Commissioner of CGST & Central Excise Division Damoh. He reserves the right to reject any / all offers, including that of the lowest tender without assigning any reason.
24. बोली लगाने वाले को वित्तीय बोली में किराए पर लिए जाने वाले परिसर के लिए प्रति वर्ग फुट प्रति माह अपेक्षित किराए की राशि उद्धृत करनी होगी। हालाँकि, किराए का भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा "उचित किराया प्रमाणपत्र" जारी करने के अधीन होगा।  
The bidder shall quote expected amount of rent per Sq. Ft. per month for the premises being hired in the financial bid. However, payment of rent will be subject to the issuance of "Fair Rent Certificate" by CPWD as per the procedure laid down by the Government.
25. मौजूदा नीति के अनुसार विभाग द्वारा कोई सुरक्षा जमा या अग्रिम किराया का भुगतान नहीं किया जाएगा। किराए का भुगतान इस कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा।  
No security deposit or advance rent shall be paid by the Department as per the existing policy. Payment of rent will be made on monthly basis by this office.
26. रखरखाव शुल्क मालिक/पट्टादाता द्वारा वहन किया जाना है। इसके अलावा, पट्टे की अवधि के दौरान लागू सभी निगम/नगरपालिका कर, उपकर, जल शुल्क या कोई अन्य कर मालिक/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा वहन किया जाएगा। इन सभी शुल्कों/करों को बोलीदाता द्वारा उद्धृत प्रति वर्ग फुट कालीन क्षेत्र के मासिक किराए का हिस्सा माना जाता है। मासिक किराया जीएसटी से अलग होगा। लागू जीएसटी की प्रतिपूर्ति

वास्तविक आधार पर सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा की जाएगी। जीएसटी की प्रतिपूर्ति इसके भुगतान के प्रमाण के आधार पर की जाएगी।

Maintenance charges are to be borne by the owner/lessor. In addition, all Corporation/Municipal Taxes, Cess, Water Charges or any other Taxes as applicable during the period of lease shall be borne by the owner/power of attorney holder. All these charges/taxes are deemed to be part of monthly rent per Sq. Ft. of carpet area quoted by the bidder. The monthly rent will be exclusive of GST. Applicable GST shall be reimbursed by the CGST & Central Excise Department on actual basis. GST will be reimbursed subject to proof of its payment.

27. वास्तविक खपत के अनुसार बिजली बिल सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

Electricity bills as per actual consumption shall be borne by the CGST & Central Excise Department.

28. सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कोई दलाली का भुगतान नहीं किया जाएगा।

No brokerage shall be paid by the CGST & Central Excise Department.

29. वित्तीय बोली में उल्लिखित भुगतान शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

The payment terms mentioned in the financial bid shall be strictly followed.

30. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण/दस्तावेज गलत/भ्रामक/मनगढ़त है, तो बोलीदाता को सूचित किए बिना उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी।

If at any stage it is found that any of the details / documents furnished by the bidder is false / misleading / fabricated, his/her bid would be liable for cancellation without intimation to the bidder.

31. संबंधित प्राधिकारी के साथ पट्टा समझौते के प्रारूपण और निष्पादन/पंजीकरण से संबंधित खर्च पट्टादाता द्वारा वहन किया जाएगा।

Expenses in connection with drafting and execution/registration of the lease agreement with the concerned authority will be borne by the lessor.

32. सहायक आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोहको लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर पट्टे को समय से पहले समाप्त करने या परिसर के पूरे या किसी हिस्से को मालिक/पावर अटॉर्नी धारक को सौंपने का अधिकार होगा। मालिक/पावर अटॉर्नी धारक पट्टे की समाप्त अवधि के लिए किसी भी मुआवजे/किराए का दावा नहीं करेगा/हकदार नहीं होगा। पट्टा अवधि समाप्त होने से पहले पट्टा समाप्त करने का अधिकार केवल सहायक आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभागदमोहके पास होगा।

The Assistant Commissioner of CGST & Central Excise Division Damoh shall have the right to terminate the lease prematurely or surrender whole or any part of the premises to the owner/power attorney holder by giving three months' notice in writing. The owner/power attorney holder shall not claim/ be entitled for any compensation/rent for the unexpired period of lease. The right to terminate the lease before the expiry of lease period will vest only with the The Assistant Commissioner of CGST & Central Excise Division Damoh.

33. सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय पट्टे की अवधि या उसके किसी भी विस्तार (यदि पारस्परिक रूप से सहमत हो) की समाप्ति पर किराए के परिसर का कब्जा मालिक/पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को लगभग उसी स्थिति में सौंप देगा जैसा कि उस समय था। प्रारंभिक पट्टे की शुरुआत. आग, भूकंप, चक्रवात, तूफ़ान, बाढ़, किसी सेना या भीड़ की हिंसा या अन्य अप्रतिरोध्य बल या ईश्वरीय कृत्य को छोड़कर टूट-फूट

और क्षति; लेकिन इस शर्त का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय किराए के परिसर में किसी भी प्रकार की मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

The Office of CGST & Central Excise will at the expiration of the lease term or any extension thereof (if agreed to mutually) deliver up possession of the rented premises to the owner/power of attorney holder in the nearly same condition as at the time of commencement of initial lease. Wear & tear, and damage by fire, earthquake, cyclone, tempest, flood, violence of any army or mob or other irresistible force or act of God excepted; but this condition shall not be construed to render the office of CGST & Central Excise liable to do any repairs of any kind to the rented premises.

34. मालिक/मुख्तारनामा धारक को परिसर सौंपने की संभावित तारीख लिखित में बतानी चाहिए।

The owner / the holder of power of attorney should intimate in writing the likely date of handing over of the premises.

35. सबसे उपयुक्त/उचित माने जाने वाले परिसर को पट्टे पर देने के लिए सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की पुष्टि की प्राप्ति और इसकी स्वीकृति के बाद, यदि मालिक/पावर अटॉर्नी धारक किसी भी कारण से पीछे हट जाता है, तो मालिक/पावर अटॉर्नी धारक को सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को विज्ञापन जारी करने से लेकर परिसर को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया में किए गए अन्य आकस्मिक व्यय और सीजीएसटी एवंकेंद्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालय द्वारा किए गए पूरे खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसे बोलीदाता भी कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं।

After receipt of the CGST & Central Excise Department's confirmation for leasing of the premises which is considered to be most suitable / reasonable and its acceptance, if owner/power attorney holder backs out on account of any reason, the owner/power attorney holder is liable to pay the Office of CGST & Central Excise the full expenditure incurred bythe Office of CGST & Central Excise from releasing of advertisement to finalizing the premises and other incidental expenditure incurred in the process. Such bidders are also liable for action as per law.

36. तीन (03) वर्षों की संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए प्रति माह प्रति वर्ग फुट कालीन क्षेत्र के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दर वित्तीय बोली [एक्सएलएस प्रारूप में बीओक्यू में पेश/उद्धृत की जानी चाहिए। परिसर के भीतर भूमिगत/ढकी हुई पार्किंग, खुली पार्किंग स्थान, आंतरिक सड़कें, उद्यान आदि के लिए कोई अलग किराया नहीं दिया जाएगा। वित्तीय बोली में उद्धृत कारपेट क्षेत्र के प्रति माह प्रति वर्ग फुट की दर में जीएसटी को छोड़कर सभी शुल्क/कर शामिल माने जाएंगे। मासिक किराए के अलावा जीएसटी की प्रतिपूर्ति अलग से की जाएगी।

Most competitive rate per month per Sq. Ft. of carpet area should be offered / quoted in Financial Bid [BoQ in .xls format] for the entire agreement period of three (03) years. No separate rent would be paid for underground/covered parking, open parking space, inner roads, garden etc. within the compound. Rate per month per Sq. Ft. of carpet area quoted in the financial bid is deemed to be inclusive all charges/taxes except GST. GST will be reimbursed separately over and above the monthly rent.

37. प्रति माह प्रति वर्ग फुट कालीन क्षेत्र के लिए मांगा गया किराया वित्तीय बोली में शामिल होगा। कालीन क्षेत्र के प्रति वर्ग फुट उक्त दर में जीएसटी को छोड़कर सभी शुल्क/कर आदि शामिल माने जाएंगे।

**The rent demanded per month per square feet of the carpet area will constitute the Financial Bid. The said rate per Sq. Ft. of the carpet area is to be deemed to be inclusive of all charges/ taxes etc. except GST**

**अनुबंध-II (तकनीकी बोली)**

**ANNEXURE-II (TECHNICAL BID)**

तकनीकी बोली में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण शामिल होना चाहिए:  
TECHNICAL BID SHOULD INTER-ALIA CONTAIN DEATAILS AS FOLLOWS:

**भाग-I/PART – I**

क्रम संख्याS . No.	मद/Item	
1	प्रस्तावित परिसर के कानूनी मालिक/मुख्तारनामा धारक का पूरा विवरण: Full particulars of the legal owner / holder of power of attorney of the offered premises:	
	i) नाम/Name	
	ii) कार्यालय एवं निवास का पता Address of office & Residence	
	iii) टेलीफोन नं./मोबाइल नं. Telephone No./Mobile No.	
	iv) टेलीफैक्स /Tele Fax	
	v) ईमेल पता/E-Mail Address	
	vi) स्थायी खाता संख्या (पैन) Permanent Account Number (PAN)	
	vii) मानचित्र के साथ परिसर/आवास का सटीक स्थान और डाक पता The exact location and postal address of the premises/accommodation with map	
2	किराए/पट्टे पर परिसर की पेशकश करने वाले और निविदा जमा करने वाले व्यक्ति(यों) का पूरा विवरण Full particulars of person(s) offering the premises on rent/lease and submitting the tender	
3	किराये के लिए प्रस्तावित आवास के संबंध में आवेदक की स्थिति (यदि आवेदक मालिक के अलावा अन्य है तो पावर ऑफ अटॉर्नी भी संलग्न करें) Status of the applicant with regard to the accommodation offered for hiring (enclose power of attorney also if the applicant is other than owner)	
4	भवन का प्रकार - व्यावसायिक है या नहीं Type of building — whether commercial or not	
5	क) भवन का पूरा पता और स्थान Complete Address and location of the building.	

	<p>ख) किराए के लिए प्रस्तावित आवास का विवरण (जैसे कारपेट क्षेत्र, तलों की संख्या, तल के अनुसार क्षेत्र) (प्रमाणित स्केच / लेआउट प्लान भी संलग्न करें)</p> <p>Details of the Accommodation offered for rent (viz. carpet area, no. of floors, floor wise area) (Enclose Certified Sketch / Layout Plan also)</p>	
6	<p>आवास की विस्तृत अनुमोदित योजना</p> <p>Detailed approved plan of the accommodation</p>	
7	<p>निर्माण की तिथि</p> <p>Date of Construction</p>	
8	<p>किराए के लिए प्रस्तावित सटीक कालीन क्षेत्र (किराए के लिए प्रस्तावित कालीन क्षेत्र में बरामदा, गलियारा और मार्ग, सीढ़ियाँ, बेसमेंट / कवर पार्किंग, शौचालय, दीवार / स्तंभ, बालकनी, पोर्टिको, शाफ्ट, लिफ्ट मेहराब, एयर कंडीशनर नलिकाएँ, मचान आदि शामिल नहीं हैं।)</p> <p>Exact carpet area offered for rent (Carpet area offered for rent does not include area of verandah, corridor and passage, staircases, basement/ covered parking, toilets, wall/columns, balcony, portico, shafts, lift arches, air-conditioner ducts, lofts etc.)</p>	
9	<p>सटीक निर्मित क्षेत्र</p> <p>Exact built up area</p>	
10	<p>प्रस्तावित मंजिल(लों) की संख्या</p> <p>Number of Floor(s) being offered</p>	
11	<p>भवन में मंजिलों की संख्या</p> <p>No. of floors in the building</p>	
12	<p>भवन के साथ उपलब्ध अन्य सुख-सुविधाएँ एवं सुविधाएँ</p> <p>Other Facilities and amenities available with the building</p>	
13	<p>उपलब्ध लिफ्टों की संख्या/वहन क्षमता, उसके निर्माण, प्रकार, मॉडल और कंपनी का विवरण प्रदान करें।</p> <p>Number of lifts available/carrying capacity, provide details of its make, type, model and company</p>	
14	<p>विभाग के विशेष उपयोग के लिए उपलब्ध पार्किंग स्थान - क्या ढका हुआ / खुला है, स्थान / वाहनों की संख्या जो 4 पहिया / 2 पहिया वाहन पार्क किए जा सकते हैं।</p> <p>Parking space available for exclusive use of</p>	

	the department- Whether covered / open, location / Nos. of vehicles that can be parked 4-wheelers / 2-wheelers	
15	क्या किराए के लिए प्रस्तावित आवास स्वामित्व, लंबित करों/बकाया या इसी तरह के विवादों सहित मुकदमेबाजी से मुक्त है (मालिक या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक शपथ पत्र की प्रति संलग्न करें) Whether accommodation offered for rent is free from litigation including disputes in regard to ownership, pending taxes/ dues or like (enclose copy of Affidavit from owner or Power of Attorney holder)	
16	नगरपालिका कानूनों के अनुरूप कार्यालय/वाणिज्यिक परिसर के रूप में उपयोग के लिए संबंधित केंद्रीय/राज्य/नगरपालिका अधिकारियों और अग्निशमन विभाग से मंजूरी/अनापत्ति प्रमाण पत्र   Clearances/no-objection certificate from the respective Central/State/Municipal authorities and Fire Department for use as office/commercial premises conforming the municipality laws	
17	क) चाहे बहता पानी हो, पीने का हो या अन्य, चौबीसों घंटे उपलब्ध हो। Whether running water, drinking and otherwise, available round the clock.	
	ख) क्या स्वच्छता और जल आपूर्ति संस्थापनों की व्यवस्था की गई है? Whether sanitary and water supply installations have been provided for?	
18	क्या अलग से बिजली और पर्याप्त स्थापित क्षमता उपलब्ध कराई गई है? Whether separate electricity and sufficient installed capacity has been provided for?	
19	स्वीकृत विद्युत भार Sanctioned electricity load	
20	a) पावर बैकअप सुविधा/स्वीकृत विद्युत भार का विवरण Details of power back-up facility/ sanctioned Electricity Load	
	ग) बिजली की स्थापना और फिटिंग, बिजली, प्लग, स्विच आदि उपलब्ध कराए गए हैं या नहीं? Whether electrical installation and fitting, power, plugs, switches etc. provided or not?	
	घ) क्या भवन के सभी कमरों में पंखों की व्यवस्था की गई है या नहीं? (यदि हाँ, तो	

	तलों के अनुसार पंखों की संख्या दें) Whether building has been provided with fans in all rooms or not? (If yes, give the Nos. of fans floor-wise)	
21	अग्नि सुरक्षा तंत्र का विवरण Details of Fire Safety Mechanism	
22	पट्टा अवधि निर्दिष्ट करें (न्यूनतम तीन वर्ष और विस्तार का प्रावधान) Specify the lease period (minimum three years and provision for extension)	
23	क्या भवन भूकंपरोधी है? Whether the building is earth quake resistant?	
24	निर्दिष्ट करें कि क्या सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभागके लिए उपयुक्त तैयार कमरे / केबिन हैं या आवश्यकता के अनुसार केबिन बनाने का कार्य करें। Specify if there are ready built rooms / cabins suitable to the CGST & Central Excise office or undertake to make cabins as per requirement.	
25	भवन का कोई अन्य मुख्य पहलू जिसका मालिक/मुख्तारनामा धारक उल्लेख करना चाहे: Any other salient aspect of the building, which the owner/power of attorney holder may like to mention:	

#### भाग-II/Part-II

26. कार्यालय स्थान की उपयुक्तता को पूरा करने के लिए योग्यता मानदंड/आवश्यक शर्तें:

Qualification criteria / Essential conditions to meet the suitability for office space:

(i)	क्या इमारत चौड़ी सड़क पर स्थित है और प्रस्तावित इमारत तक पहुंचने का रास्ता सुविधाजनक और भीड़भाड़ रहित है? Whether the building is located on a wide road and the approach to the offered building is convenient and non-congested?	
(ii)	क्या किराए के लिए प्रस्तावित संपूर्ण कारपेट क्षेत्र किराएदार के विशेष उपयोग के लिए है? Whether entire carpet area offered for rent is for exclusive use of the hirer?	
(iii)	इस क्षेत्र से किसी अन्य व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी गई है. No passage to any other person has been allowed through this area.	
(iv)	क्या किराये के लिए प्रस्तावित पूरा कालीन क्षेत्र एक ही इमारत में है? Whether the entire carpet area offered for rent is in one building?	

(v)	क्या प्रस्तावित संपूर्ण क्षेत्र सन्निहित है? Whether the entire area offered is contiguous?	
(vi)	यदि जगह अलग-अलग मंजिलों पर पेश की जाती है, तो क्या वे सन्निहित मंजिलें हैं और आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं? If the space is offered on different floors, whether they are contiguous floors and internally connected?	
(vii)	क्या केवल किराए पर लेने वालों के लिए चार पहिया वाहनों के लिए लगभग 3 से 4 और दोपहिया वाहनों के लिए लगभग 12 से 14 पार्किंग निर्धारित/आरक्षित है? Whether there is earmarked/reserved parking for about 3 to 4 for four wheelers and about 12 to 14 for two wheelers exclusively for the hirer ?	
(viii)	क्या आगंतुकों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान है? Whether there is adequate parking space for visitors' vehicles?	
(ix)	क्या प्रस्तावित परिसर सुरक्षित और उचित रूप से तैयार स्थिति में है? Whether the premises offered is secure and in reasonably ready condition?	
(x)	क्या इमारत अग्निशमन मानदंडों के अनुरूप है और अग्निशमन विभाग से नवीनतम मंजूरी/प्रमाणपत्र प्राप्त है? Whether the building conform to the firefighting norms and in possession of latest clearance / certificate from Fire department?	
(xi)	क्या भवन में सुनिश्चित पावर बैकअप के साथ विद्युत चालित लिफ्टों का प्रावधान है, यदि पूरा कार्यालय स्थान भूतल पर नहीं है? Whether the building has the provision for electrically operated lifts with assured power backup, if the entire office space is not on ground floor?	
(xii)	क्या इमारत चौबीसों घंटे चालू रहती है? Whether the building is operative 24 x 7?	
(xiii)	क्या निविदा में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किये गये हैं? Whether all the requisite documents mentioned in the tender are submitted?	

**ध्यान दें:** ऊपर उल्लिखित शर्तें आवश्यक हैं और पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए इन्हें पूरा किया जाना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

**Note:** The conditions mentioned above are essential and must be met to satisfy the eligibility criteria. In case these conditions are not met, the bid is liable to be rejected.

## 27. संलग्नकों की सूची:/List of Enclosures:

तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित/प्रमाणित स्कैन की गई प्रतियां सीपीपीपी पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। इन दस्तावेजों के बिना प्राप्त तकनीकी बोलियां पार्टों के किसी भी संदर्भ के बिना अस्वीकार कर दी जाएंगी। इन दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां पट्टा समझौते के निष्पादन के समय प्रस्तुत की जाएंगी।

Attested/certified scanned copies of the following documents are required to be uploaded on CPPP portal along with the Technical Bid. Technical Bids received without these documents are liable to be rejected without any reference to the party whatsoever. Originals of these documents/certificates shall be produced at the time of execution of Lease Agreement.

1. परिसर के स्वामित्व को दर्शाने वाला "टाइटल डीड" और/या भूमि मालिक के पास पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रतिलिपि (स्वामित्व के प्रमाण की प्रति / पावर ऑफ अटॉर्नी)।  
"Title Deed" showing the ownership of the premises and/or copy of Power of Attorney with the land owner (Copy of proof of ownership / Power of attorney).
2. स्थानीय विकास प्राधिकरण या किराए/किराए के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित ड्राइंग की प्रमाणित प्रतियां, भूमि विलेख की प्रमाणित प्रति, नगर निगम कर रसीदें।  
Certified copies of approved drawings from LOCAL DEVELOPMENT AUTHORITY or any other competent authority of the area offered for rent/hire, certified copy of Land Deed, Municipal Corporation Tax Receipts.
3. प्रस्तावित संपत्ति का स्थान मानचित्र  
Location Map of the proposed property.
4. कालीन क्षेत्र के सटीक माप के साथ प्रस्तावित परिसर का अनुमोदित लेआउट प्लान।  
Approved layout plan of the offered premises with exact measurement for carpet area.
5. सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित स्थान/भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र/अधिभोग प्रमाण पत्र।  
Completion certificate/Occupancy Certificate of the offered space / building from the competent authority.
6. मालिकों/ पावर ऑफ अटॉर्नी धारक से शपथ पत्र और यदि निविदा अटॉर्नी धारक की पावर द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी धारक से किसी भी मुकदमेबाजी / देनदारी / लंबित बकाया और करों से मुक्त होने के लिए किराए पर दिए जाने वाले आवास के संबंध में एक शपथ पत्र।  
Affidavit from owners/power of attorney holder and if tender is submitted by the power of Attorney Holder, an Affidavit from such power of Attorney Holder regarding accommodation offered for hiring being free from any litigation / Liability /pending dues and taxes.

**वचन /UNDERTAKING**

मैं/हम..... पुत्र/पुत्री.....  
....., ने निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित विभिन्न नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। मैं/हम....., सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूं कि, मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर और उसके साथ संलग्न संलग्नों में दी गई जानकारी सही है और सही मायने में बताई गई है।

I/We .....son/daughter of  
....., have gone through the various terms and conditions mentioned in the tender documents and I/we agree to abide by them. I/We ..... , solemnly declare that, to the best of my/our knowledge and belief the information given above and, in the enclosures, accompanying it is correct complete and truly stated.

स्थान/Place:

दिनांक/Date :

कानूनी मालिक/पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
Signature of Legal Owner/Power of Attorney Holder/Authorized Person

**अनुबंध-III (वित्तीय बोली)**  
**ANNEXURE-III (FINANCIAL BID)**  
**वित्तीय/मूल्य बोली वचन और अनुसूची**  
**FINANCIAL/ PRICE BID UNDERTAKING & SCHEDULE**

- (क) मूल्य बोली वचन/Price bid undertaking.  
(ख) मूल्य बोली की अनुसूची./Schedule of price bid.

**(क) मूल्य बोली वचन:/PRICE BID UNDERTAKING:**

प्रेषक: (बोलीदाता का पूरा नाम और पता)  
From: (Full name and address of the Bidder) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

प्रति/To,

सहायक आयुक्त/The Assistant Commissioner,  
सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभाग – दमोह,  
CGST & Central Excise Division – Damoh  
05, सिविललाइंस  
05, Civil Lines,  
सागर/Sagar – 47001

महोदय/Sir,

- 1) मैं बोली दस्तावेज़ में परिकल्पित मूल्य बोली (कृपया भवन का नाम/पता/विवरण दें) प्रस्तुत करता हूँ। **(किराया और अन्य रकम यहां न बताएं, जिसे केवल बीओक्यू प्रारूप में दर्शाया जाना चाहिए।)**  
I submit the Price Bid for (please give the name/address/details of the building) as envisaged in the Bid document. **(Do not furnish the rent and other amounts here which should be indicated only in the BoQ format.)**
- 2) मैंने निविदा दस्तावेज़ में निहित सभी नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से जांच और समझ लिया है, और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।  
I have thoroughly examined and understood all the terms and conditions as contained in the tender document, and agree to abide by them.
- 3) मैं जीएसटी को छोड़कर, एक्सेल प्रारूप में वित्तीय/मूल्य बोली में दर्शाई गई दरों पर आपके कार्यालय के लिए आवास किराए पर देने की पेशकश करता हूँ।  
I offer to rent out accommodation for your office at the rates as indicated in the Financial/Price Bid in excel format, excluding GST.

**(ख) मूल्य बोली की अनुसूची:/SCHEDULE OF PRICE BID:**

क्रम संख्या Sl. No.	मद/Item	
1	आवेदक का नाम और पता फ़ोन नंबर के साथ। Name & Address of the applicant with Phone Nos.	

2	किराये के लिए प्रस्तावित भवन/आवास के संबंध में आवेदक की स्थिति (मालिक या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक) Status of the applicant with regard to Building / Accommodation offered for hire (Owner or Power of Attorney Holder)	
3	मालिक का पूरा विवरण: Full particulars of the owner: i) नाम/Name ii) कार्यालय/निवास का पता Address of office/ Residence iii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर/Telephone No./Mobile No. iv) टेली फैक्स/Tele Fax v) ई-मेल पता/E-Mail Address vi) पैन (फोटोकॉपी)/PAN (Photocopy)	
4	प्रस्तावित भवन का पूरा विवरण अर्थात स्थान का पूरा डाक पता Complete details of the building offered viz. Complete postal address of the location	
5	निविदा दस्तावेज़ में परिभाषित कुल कालीन क्षेत्र (वर्ग फीट में) की पेशकश की गई है। Net Carpet Area offered (in Sq. Ft.) as defined in Tender document	

भवदीय/Yours faithfully,

बोली लगाने वाले या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर, स्टॉप के साथ (यदि कोई हो)  
Name & signature with stamp (if any)  
of Bidder or Authorized Signatory

**अनुबंध-IV/ANNEXURE-IV  
घोषणा/DECLARATION**

मैं/ हम .....निविदा दस्तावेजों के साथ दिए गए विषय प्रस्ताव पर लागू विस्तृत नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और समग्र रूप से उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अलग-अलग मदों के सामने दिए गए भवनों आदि के विवरण मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और उनमें से कोई भी सत्य नहीं पाए जाने की स्थिति में, मैं/हम ऐसे परिणामों/कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे जैसा कि सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय लेना चाहेगा।

I / We ....., have read and understood the detailed terms and conditions applicable to the subject offer as supplied with the TENDER documents and agree to abide by the same in totality. It is hereby declared that the particulars of the buildings etc. as furnished against the individual items are true and correct as per my / our knowledge and belief and in the event of any of the same being found to be not true, I / We shall be liable to such consequences / lawful action as the office of CGST & Central Excise may wish to take.

**कानूनी मालिक/पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तारीख के साथ  
Signature with date of Legal Owner/Power of Attorney Holder/Authorised Person**

**अनुबंध-V/ANNEXURE-V**  
**निविदा स्वीकृति पत्र** (कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाए)  
**TENDER ACCEPTANCE LETTER** (To be given on Company Letter Head)

दिनांक/Date:  
प्रति/To,

सहायक आयुक्त/The Assistant Commissioner,  
सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्कप्रभाग – दमोह,  
CGST & Central Excise Division – Damoh  
05, सिविललाइंस  
05, Civil Lines,  
सागर/Sagar – 47001

**विषय:** निविदा संदर्भ संख्या: \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_.\_\_.2026 के नियमों और शर्तों की स्वीकृति

**Sub:** Acceptance of Terms & Conditions of Tender Reference No:

\_\_\_\_\_ dtd \_\_.\_\_.2026

**निविदा का नाम:-**सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्करेंज छतरपुर एवं पन्ना के लिए कार्यालय परिसर को  
किराए पर लेना

**Name of Tender:-**Hiring of Office Premises for CGST & Central Excise Range chhatarpur &  
panna

प्रिय महोदय/Dear Sir,

- हमने उपर्युक्त 'निविदा' के लिए निविदा दस्तावेज़ वेबसाइट(वेबसाइटों) से डाउनलोड कर लिए हैं:  
\_\_\_\_\_ उपर्युक्त  
वेबसाइट में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार।  
We have downloaded the tender document(s) for the above mentioned 'Tender' from the  
website(s) namely: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ as per your advertisement, given in the above-mentioned website.
- हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने पृष्ठ संख्या --\_\_ से \_\_ (अनुलग्नक, अनुसूची आदि जैसे सभी  
दस्तावेजों सहित) तक निविदा दस्तावेजों के संपूर्ण नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, जो इस अनुबंध का हिस्सा  
हैं। और मैं/हम इसमें निहित नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।  
We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender  
documents from Page No.\_\_to \_\_ (including all documents like annexure(s), schedule(s),  
etc.), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms  
/ conditions / clauses contained therein.
- इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठनों द्वारा समय-समय पर जारी  
शुद्धिपत्र(शुद्धिपत्रों) को भी ध्यान में रखा गया है।  
The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organizations too have  
also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
- हम एतद्वारा उपरोक्त उल्लिखित निविदा दस्तावेज(दस्तावेजों)/ शुद्धिपत्र(शुद्धिपत्रों) की निविदा शर्तों को  
उनकी समग्रता/संपूर्णता में बिना शर्त स्वीकार करते हैं।  
We hereby unconditionally accept the tender conditions of above-mentioned tender  
document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.

5. हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैकलिस्ट/डिवर्जित नहीं किया गया है।

We do hereby declare that our Firm has not been blacklisted/ debarred by any Govt. Department/Public sector undertaking.

6. हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी फर्म द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य और सही है और यदि जानकारी गलत/असत्य या उल्लंघनकारी पाई जाती है, तो आपका विभाग/संगठन बिना कोई नोटिस या कारण बताए, या बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देगा या अनुबंध समाप्त कर देगा, बिना किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, जिसमें संपूर्ण बयाना राशि जमा करना भी शामिल है।

We certify that all information furnished by our Firm is true & correct and, in the event, that the information is found to be incorrect/untrue or found violated, then your department/organisation shall without giving any notice or reason therefore or summarily reject the bid or terminate the contract, without prejudice to any other rights or remedy including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

भवदीय/Yours Faithfully,

कानूनी मालिक/पॉवर ऑफ अटॉर्नी धारक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
Signature of Legal Owner/Power of Attorney Holder/Authorised Person

## अनुबंध-VI/ANNEXURE-VI

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां ई-प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदारों/बोलीदाताओं को विशेष निर्देश

**Special Instructions to the Contractors/Bidders for e-submission of the bids online through the e-Procurement Portal**

(सीपीपीपी <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर वेबलिक 'ठेकेदारों के लिए सहायता' के तहत भी उपलब्ध है) (also available on CPPP <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> under the weblink 'Help for Contractors')

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों का उपयोग करके सीपीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट प्रतियां जमा करने की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature Certificates. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal.

सीपीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर प्राप्त की जा सकती है।

More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at <http://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

### पंजीकरण/REGISTRATION

1) बोलीदाताओं को सीपीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (यूआरएल: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। जोकि निःशुल्क है।

Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) by clicking on the link "Online bidder Enrollment" on the CPP Portal which is free of charge.

2) नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और अपने खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।

As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.

3) बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के भाग लेने के लिए अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने की सलाह दी जाती है। इनका उपयोग सीपीपीपी पोर्टल से किसी भी संचार के लिए किया जाएगा।

Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any communication from the CPP Portal.

4) नामांकन के बाद, बोलीदाताओं को सीसीए इंडिया (जैसे सिफी/एनकोड/ई मुद्रा आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ भाग II या भाग III प्रमाण पत्र) को अपनी प्रोफाइल के साथ पंजीकृत करना आवश्यक होगा।

Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class II or Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g. Sify/ nCode / eMudhra etc.), with their profile.

5) एक बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोली लगाने वाले यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि वे अपना डीएससी दूसरों को उधार न दें जिससे दुरुपयोग हो सकता है।

Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC to others which may lead to misuse.

6) इसके बाद बोलीदाता अपना यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट पर लॉग इन कर सकता है।

Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID / password and the password of the DSC / e-Token.

## निविदा दस्तावेज़ों की खोज /SEARCHING FOR TENDER DOCUMENTS

1) बोलीदाताओं को कई मापदंडों के आधार पर सक्रिय निविदाओं को खोजने की सुविधा प्रदान करने के लिए सीपीपी पोर्टल में विभिन्न खोज विकल्प बनाए गए हैं। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोली लगाने वाले कई खोज मापदंडों को जोड़ सकते हैं जैसे कि संगठन का नाम, अनुबंध का रूप, स्थान, सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा को खोजने के लिए तिथि, अन्य कीवर्ड आदि।

There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, Other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.

2) एक बार जब बोली लगाने वालों ने उन निविदाओं का चयन कर लिया जिनमें वे रुचि रखते हैं, तो वे आवश्यक दस्तावेज़/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'माई टेंडर्स' फ़ोल्डर में ले जाया जा सकता है। इससे सीपीपी पोर्टल निविदा दस्तावेज़ में कोई शुद्धिपत्र जारी होने की स्थिति में बोलीदाताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करने में सक्षम होगा।

Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents / tender schedules. These tenders can be moved to the respective 'My Tenders' folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS / e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.

3) यदि बोलीदाता हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रत्येक निविदा को सौंपी गई विशिष्ट निविदा आईडी को नोट कर लेना चाहिए।

The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case they want to obtain any clarification / help from the Helpdesk.

## बोलियों की तैयारी/PREPARATION OF BIDS

1) बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज़ पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

Bidder should take into account any corrigendum published on the tender document before submitting their bids.

2) बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें। कृपया उन लिफाफों की संख्या पर ध्यान दें जिनमें बोली दस्तावेज़ जमा किए जाने हैं, दस्तावेज़ों की संख्या - जिसमें प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक दस्तावेज़ के नाम और सामग्री शामिल हैं। इनमें से कोई भी विचलन बोली को अस्वीकार कर सकता है।

Please go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Please note the number of covers in which the bid documents have to be submitted, the number of documents - including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.

3) बोली लगाने वाले को पहले से ही निविदा दस्तावेज़/अनुसूची में बताए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज़ तैयार कर लेने चाहिए और आम तौर पर, वे पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/डीडब्ल्यूएफ/जेपीजी प्रारूप में हो सकते हैं। बोली दस्तावेज़ों को काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ के आकार को कम करने में मदद करता है।

Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender document / schedule and generally, they can be in PDF / XLS / RAR / DWF/JPG formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.

4) प्रत्येक बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेज़ों(जैसे पैन कार्ड कॉपी, वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिटर प्रमाणपत्र आदि) के समान सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए, बोलीदाताओं को ऐसे मानक दस्तावेज़ों को अपलोड करने का प्रावधान प्रदान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए उनके पास उपलब्ध "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये दस्तावेज़ बोली जमा करते समय सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से जमा किए जा सकते हैं, और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी।

To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which are required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading such standard documents (e.g. PAN card copy, annual reports, auditor certificates etc.) has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" or "Other Important Documents" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "My Space" area while submitting a bid, and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid submission process.

### **बोलियाँ प्रस्तुत करना/SUBMISSION OF BIDS**

1) बोलीदाता को बोली जमा करने के लिए पहले से ही साइट पर लॉग इन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर यानी बोली जमा करने के समय पर या उससे पहले अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।

Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that they can upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues.

2) बोली लगाने वाले को निविदा दस्तावेज़ में दर्शाए अनुसार एक-एक करके आवश्यक बोली दस्तावेज़ों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना और अपलोड करना होगा।

The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the tender document.

3) बोलीदाता को लागू निविदा शुल्क / ईएमडी का भुगतान करने और उपकरण का विवरण दर्ज करने के लिए "ऑफ़लाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा।

Bidder has to select the payment option as "offline" to pay the tender fee / EMD as applicable and enter details of the instrument.

4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार ईएमडी तैयार करनी चाहिए। मूल प्रति संबंधित अधिकारी को बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक या निविदा दस्तावेज़ों में निर्दिष्ट अनुसार पोस्ट/कूरियर/व्यक्तिगत रूप से दी जानी चाहिए। भौतिक रूप से भेजे गए ईएमडी/किसी अन्य स्वीकृत उपकरण का विवरण, स्कैन की गई कॉपी में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करने के समय दर्ज किए गए डेटा से मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

Bidder should prepare the EMD as per the instructions specified in the tender document. The original should be posted/couriered/given in person to the concerned official, latest by the last date of bid submission or as specified in the tender documents. The details of the EMD/any other accepted instrument, physically sent, should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission time. Otherwise the uploaded bid will be rejected.

5) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि उन्हें अपनी वित्तीय बोलियाँ आवश्यक रूप से दिए गए प्रारूप में ही जमा करनी चाहिए और कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं है। यदि निविदा दस्तावेज़ के साथ मूल्य बोली एक मानक BoQप्रारूप के रूप में दी गई है, तो उसे डाउनलोड करना होगा और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरना होगा। बोलीदाताओं को BoQफ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, इसे खोलना होगा और रंगीन (असुरक्षित) प्रकोष्ठ को अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण और अन्य विवरण (जैसे बोली लगाने वाले का नाम) के साथ भरना होगा। कोई अन्य प्रकोष्ठ नहीं बदला जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को इसे सहेजना चाहिए और फ़ाइल नाम बदले बिना इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा BoQफ़ाइल को संशोधित पाया जाता है, तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable. If the price bid has been given as a standard BoQ format with the tender document, then the same is to be downloaded and to be filled by all the bidders. Bidders are required to download the BoQ file, open it and complete the coloured (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the filename. If the BoQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.

6) सर्वर समय (जो बोलीदाता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोलियाँ जमा करने, बोलियाँ खोलने आदि की समय सीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली जमा करने के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए।

The server time (which is displayed on the bidder's dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.

7) डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ों को पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को बोली खोलने के समय तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेज़ सिस्टम द्वारा उत्पन्न सममित कुंजी का उपयोग करके सममित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असममित एन्क्रिप्शन के अधीन है।

All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128 bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done. Any bid document that is uploaded to the server is subjected to symmetric encryption using a system generated symmetric key. Further this key is subjected to asymmetric encryption using buyers/bid opener's public keys.

8) अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज पढ़ने योग्य हो जाते हैं।

The uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.

9) बोलियों के सफल और समय पर जमा होने पर (अर्थात पोर्टल में "फ्रीज बिड सबमिशन" पर क्लिक करने के बाद), पोर्टल एक सफल बोली जमा करने का संदेश देगा और बोली संख्या और जमा करने की तारीख और समय के साथ एक बोली सारांश अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।

Upon the successful and timely submission of bids (i.e. after Clicking "Freeze Bid Submission" in the portal), the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.

10) बोली सारांश को मुद्रित करना होगा और बोली जमा करने की पावती के रूप में रखना होगा। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने वाली बैठक के लिए प्रवेश पास के रूप में किया जा सकता है।

The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. This acknowledgement may be used as an entry pass for any bid opening meetings.

### **बोलीदाताओं को सहायता/ASSISTANCE TO BIDDERS**

1) निविदा दस्तावेज़ और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित कोई भी प्रश्न निविदा के लिए निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी या निविदा में दर्शाए गए संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।

Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the tender.

2) ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य तौर पर सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क पर भेजे जा सकते हैं।

Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk.

**अनुबंध VII/ANNEXURE VII**  
**मानक पट्टा समझौता**  
**STANDARD LEASE AGREEMENT**

समझौता ..... दिन .. ..... का ..... दो हजार चौबीस के बीच

इसके बाद इसे एक भाग का 'पट्टाकर्ता'(इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, परिसमापक और रिसेवर शामिल होंगे, जहां भी अर्थ के संदर्भ में इसकी आवश्यकता होगी या अनुमति होगी) और दूसरे भाग का भारत का राष्ट्रपति(इसके बाद इसे 'भारत सरकार' के रूप में जाना जाएगा ' या 'पट्टेदार') कहा जाएगा।

AN AGREEMENT MADE ..... DAY ..... OF ..... Two  
thousand and twenty- six between

hereinafter called 'The Lessor' (Which expression shall include its successors assigns, administrator, liquidators and receivers, wherever the context of meaning shall so require or permit) of the one part AND the PRESIDENT OF INDIA (hereinafter referred as 'THE GOVERNMENT OF INDIA' or 'Lessee') of the other part.

**जिससे निम्नानुसार सहमति एवं घोषणा की जाती है:-**

**WHEREBY IT IS AGREED AND DECLARED AS FOLLOWS:-**

1. इसके बाद आरक्षित किराए और इसमें निहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए, पट्टेदार किराए पर देने के लिए सहमत होता है और पट्टेदार भूमि को पट्टे पर लेने, उसे किराए पर लेने और परिसर को किराए पर लेने के लिए सहमत होता है जिसे ..... के रूप में जाना जाता है। भवन और निर्माण, फिक्स्चर और फिटिंग, खड़ा होना और उस पर रहना (इसके बाद "उक्त परिसर" कहा जाएगा) विशेष रूप से 'अनुसूची-क' में वर्णित है।

In consideration of the rent hereinafter reserved and of the other conditions herein contained, the Lessor agrees to let out and Lessee agrees to take on lease the land, hired it aments and premises known as.....together with all buildings and erections, fixtures and fittings, standing and being thereon (hereinafter called "THE SAID PREMISES") more particularly described in 'SCHEDULE-'A'.

2. पट्टा .....दो हजार पच्चीसको.....दिन को प्रारम्भ होगा/शुरू हुआ समझा जायेगा और, इसकी शर्तों के अधीन, पट्टे की अवधि को एक और अवधि के लिए बढ़ाने के विकल्प के साथ, जैसा कि इसके खंड 14 में निर्धारित है, ..... वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा।

The lease shall commence/shall be deemed to have been commenced\* on the.....day of.....two thousand and twentyfive and shall, subject to the terms hereof, continue for a term of..... years with an option to extend the period of lease for a further term as set out in clause 14 hereof.

3. पट्टेदार, यहां दी गई शर्तों के अधीन, उक्त परिसर के लिए मासिक बकाया में ..... रुपये प्रति माह की दर से सकल किराया का भुगतान करेगा, जिसमें प्रति माह रखरखाव और करों के लिए ..... रुपये की राशि भी शामिल है। इसके द्वारा बनाई गई किरायेदारी की स्थिति में, इन व्यवस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए अनुसार समाप्त होने पर, पट्टेदार को ऐसी समाप्ति की तारीख तक चालू माह के अंश के लिए किराए का केवल एक आनुपातिक हिस्सा भुगतान करना होगा। एतद्वारा सहमत किराए की दर पट्टे की अवधि या पट्टे के नवीनीकरण, यदि कोई हो, के दौरान संशोधन के लिए उत्तरदायी नहीं है और पट्टे की शुरुआत या किराए के संशोधन से तीन साल की समाप्ति के बाद संशोधन के लिए विचार किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसा संशोधन ऐसे संशोधन के समय देय किराए के 5% प्रति वर्ष (आवासीय आवास के मामले में) और 8% प्रति वर्ष (गैर-आवासीय आवास के मामले में) से अधिक नहीं होगा, ऐसा किराया सकल किराए के बराबर होगा। रखरखाव और कर के लिए देय राशि से कम किया गया।

The Lessee shall, subject to the terms hereof, pay gross rent in monthly arrears for the said premises at the rate of Rs.....per month, which also includes a sum of Rs..... towards maintenance and taxes per month. In the event of the tenancy hereby created, being terminated as provided by these presents, the Lessee shall pay only a proportionate part of the rent for the fraction of the current month up to the date of such termination. The rate of rent hereby agreed is not liable to revision during the period of lease or renewal, if any, of the lease and can be considered for revision after the expiry of the three years from the start of the lease or revision of the rent, provided that such revision shall not exceed 5% per annum (in case of residential accommodation) and 8% per annum (in case of non-residential accommodation) of the rent payable at the time of such revision, such rent being equivalent to gross rent reduced by the amount payable towards maintenance and tax.

4. उक्त परिसर को 'अनुसूची-ख'में दिखाए गए अनुसार मौजूदा फिक्स्चर और फिटिंग को शामिल माना जाएगा और भारत सरकार इसके द्वारा बनाई गई शर्तों की समाप्ति या उसके किसी भी नवीनीकरण पर और इसके खंड 11 के अधीन होगी। उक्त परिसर जिसमें फिक्स्चर और फिटिंग शामिल हैं, प्राप्त होने वाली अच्छी स्थिति में हैं, उचित टूट-फूट, आग से क्षति, दैवीय कृत्य, दंगे या अन्य नागरिक हंगामा, दुश्मन की कार्रवाई और/या अन्य कारण जो भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, को छोड़कर, बशर्ते कि भारत सरकार इसके द्वारा बनाई गई शर्तों या उसके किसी नवीनीकरण के दौरान होने वाली किसी भी संरचनात्मक क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

The said premises shall be deemed to include the fixtures and fittings existing thereon as shown in 'SCHEDULE-'B' and the Government of India shall upon the expiration of the terms hereby created or any renewal thereof and subject to clause 11 hereof yield up the said premises including fixtures and fittings in as good a condition as received, fair wear and tear, damage by fire, act of god, riots or other civil commotion, enemy action and/or other causes not within the control of the Government of India excepted, PROVIDED THAT THE GOVERNMENT OF INDIA shall not be responsible for any structural damage which may occur to the same during the terms hereby created or any renewal thereof.

5. भारत सरकार किसी भी वैध उद्देश्य के लिए उक्त परिसर का उपयोग करने की हकदार होगी जो भूमि स्वामी के हित के लिए हानिकारक नहीं है।

The Government of India shall be entitled to use the said premises for any lawful purpose which is not detrimental to the interest of the land lord.

6. भारत सरकार को उक्त परिसर के पूरे या किसी हिस्से को उप-किराए पर देने का अधिकार होगा, लेकिन वह किराए के पूर्ण भुगतान के लिए जिम्मेदार होगी और ऐसे उप-पट्टे की अवधि पट्टे या उसके विस्तार की अवधि से अधिक नहीं होगी। यदि कोई हो, जैसा कि यहां ऊपर खंड 2 में बताया गया है।

The Government of India shall have the right to sublet the whole or any part or parts of the said premises but shall be responsible for the full payment of rent and the term of such sub-lease shall not exceed the period of lease or extension thereof, if any, as set out in Clause 2 hereinabove.

7. सभी मौजूदा और भविष्य की दरें, संपत्ति कर सहित कर, मूल्यांकन शुल्क और उक्त परिसर के संबंध में उसके मालिक द्वारा देय प्रत्येक विवरण के अन्य आउटगोइंग का भुगतान पट्टादाता द्वारा किया जाएगा। हालाँकि, पट्टादाता भारत सरकार से करों में वृद्धि के कारण भुगतान की गई अतिरिक्त लेवी वसूल करने का हकदार होगा और ऐसी वसूली पट्टे की लंबित अवधि के दौरान देय करों की राशि के अनुपात में होगी। यदि उक्त परिसर एक इमारत का हिस्सा है जो एक इकाई के रूप में कर के भुगतान के अधीन है, तो अतिरिक्त कर के भुगतान के संबंध में भारत सरकार की देनदारी होगी, जब तक कि ऐसी इमारत के निर्मित हिस्से में मूल किराये के समय के समान अनुपात में कोई अतिरिक्त वृद्धि न की गई हो। पट्टेदारों द्वारा कुछ अतिरिक्त निर्माण किए जाने की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा देय अतिरिक्त कर भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पट्टेदार द्वारा स्थानीय निकायों को करों आदि के भुगतान में चूक के मामले में, पट्टेदार के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह पट्टेदार को देय सकल किराए (करों सहित) से ऐसे बकाया को काट ले, और उसे स्थानीय निकाय को सीधे भुगतान कर दे। हालाँकि,

ऐसी कटौती करने से पहले, पट्टेदार को 15 दिनों के भीतर यह दिखाने के लिए पट्टेदार को लिखित रूप में एक नोटिस देना होगा कि वह स्थानीय निकायों को करों के भुगतान में चूक नहीं कर रहा है।

All existing and future rates, taxes including property tax, assessment charges and other out-goings whatsoever of every description in respect of the said premises payable by the owner there of, shall be paid by the Lessor. The Lessor, however, shall be entitled to recover additional levies, paid on account of enhancement in taxes, from the Govt. of India and such recovery shall be proportionate to the amount of taxes payable during the pendency of the lease. In case the said premises is portion of a building subject to payment of tax as one entity, the liability of the Govt. of India in respect of payment of additional tax, unless there has been any addition to the constructed portion of such building, shall be in the same ratio as at the time of original letting. In case of some additional construction having been made by the Lessors, additional tax payable by the Govt. of India shall be as determined by the Central Public Works Department of the Govt. of India. In case of default in payment of taxes etc. by the Lessor to the local bodies, it would be open for the Lessee to deduct such dues from the gross rent (including taxes) payable to the Lessor, and to pay the same directly to the local bodies. However, before making such deduction, the Lessee shall have to give a notice in writing, to the Lessor to show, within 15 days, that he is not in default in payment of taxes to the local bodies.

8. भारत सरकार इन व्यवस्थाओं की निरंतरता के दौरान उक्त परिसर में उपयोग की जाने वाली बिजली, प्रकाश और पानी के संबंध में सभी शुल्क का भुगतान करेगी।

The Government of India shall pay all charges in respect of electricity power, light and water, used on the said premises during the continuance of these presents.

9. पट्टेदार आमतौर पर उस इलाके में परिसर में की जाने वाली आवश्यक मरम्मत को भारत सरकार द्वारा लिखित नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित करेगा और यदि पट्टेदार नोटिस के अनुसरण में किसी भी मरम्मत को निष्पादित करने में विफल रहता है तो भारत सरकार नोटिस में निर्दिष्ट मरम्मत को पट्टादाता के खर्च पर निष्पादित करवा सकती है और उसकी लागत, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पट्टादाता को देय किराए से काट ली जा सकती है।

The Lessor shall execute necessary repairs usually made to premises in that locality as and may be specified by the Government of India in a notice in writing within such time as may be mentioned therein and if the Lessor fails to execute any repairs in pursuance of the notice, the Government of India may cause the repairs specified in the notice to be executed at the expense of the Lessor and the cost thereof may, without prejudice to any other mode of recovery, be deducted from the rent payable to the Lessor.

10. भारत सरकार, इसके द्वारा बनाई गई शर्तों और उसके किसी भी नवीनीकरण के दौरान किसी भी समय, मौजूदा इमारतों जैसे विभाजन, कार्यालय, फिक्स्चर और फिटिंग में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन कर सकती है जिन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसे इंस्टॉलेशन या अन्य कार्य, फिटिंग और फिक्स्चर, भारत सरकार की संपत्ति बने रहेंगे, जो इसके द्वारा बनाई गई शर्तों की समाप्ति पर और किसी भी नवीनीकरण पर उनमें से किसी एक या सभी को हटाने और स्वयं के लिए उपयुक्त होने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, बशर्ते कि भारत सरकार उक्त परिसर को फिर से उसी स्थिति में सौंप देगी जैसी वे इन व्यवस्थाओं के प्रारंभ में थे, उचित टूट-फूट और आग या भारत सरकार के नियंत्रण से परे अन्य कारणों से क्षति अपवादित या उसके विकल्प पर उसके बदले में मुआवजा का भुगतान करें, बशर्ते कि ऐसा मुआवजा इन व्यवस्थाओं के निर्धारण की तिथि पर उक्त परिसर के मूल्य से अधिक नहीं होगा, यदि वे उसी संरचनात्मक स्थिति में रहे हों।

The Government of India may, at any time during the terms hereby created and any renewal thereof, make such structural alterations to the existing buildings such as partitions, office, fixtures and fittings as may be easily removable. **PROVIDED ALWAYS THAT** such installations or other works, fittings and fixtures, shall remain the property of the Government of India who shall

be at liberty to remove and appropriate to itself, any or all of them at the expiration of the terms hereby created and any renewal thereof, provided further that the Government of India shall again hand over the said premises in the same condition as they were in at the commencement of these presents, fair wear and tear and damage by fire or other causes beyond the control of the government of India excepted or at its option pay compensation in lieu thereof PROVIDED FURTHER that such compensation shall not exceed the value of the said premises on the date of the determination of these presents, if they had remained in the same structural state.

11. भारत सरकार को उक्त पूरे परिसर या उसके किसी हिस्से के संबंध में किसी भी किराए का भुगतान करने से मुक्त किया जाएगा, जो आग, दंगों या अन्य नागरिक हंगामे, दुश्मन की कार्रवाई और/या अन्य कारणों से निर्जन हो सकता है, जो नियंत्रण में नहीं है। भारत सरकार या किसी सरकार या नगरपालिका प्राधिकरण के कृत्यों और ऐसे मामलों में यहां देय किराया तदनुसार, या उसके विकल्प पर विभाजित किया जाएगा। भारत सरकार को इसके खंड 10 के तहत कार्यों, फिटिंग, फिक्स्चर और मशीनरी को हटाने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन व्यवस्थाओं को तुरंत समाप्त करने की शक्ति होगी।

The Government of India shall be released from paying any rent in respect of the whole or any such part of the said premises as might be rendered uninhabitable by fire, riots or other civil commotion, enemy action and/or other causes, not within the control of the Government of India or acts of any Government or Municipal Authority and in such cases the rent payable hereunder shall be accordingly apportioned, or at its option the Government of India shall have power to terminate these presents forthwith without prejudice to its rights to remove works, fittings, fixtures and machinery under Clause 10 hereof.

12. भारत सरकार उक्त परिसर पर अपने कब्जे से होने वाले लाभ की हानि या सद्भावना की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी या उक्त परिसर के संबंध में पूर्वोक्त देय किराए के अलावा मुआवजे की किसी भी राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी और पट्टादाता इसके संदर्भ में कोई दावा नहीं करेगा।

The Government of India shall not be liable for loss of profit or loss of goodwill arising from its occupation of the said premises or any amount of compensation in respect of the said premises other than the rent payable as aforesaid and the Lessor shall make no claim in respect thereof.

13. पट्टादाता भारत सरकार से सहमत है कि वह शर्तों और शर्तों का पालन करते हुए आरक्षित किराए का भुगतान करेगा। इसमें निहित भारत सरकार की ओर से उल्लिखित शर्तों के दौरान उक्त परिसर को शांतिपूर्वक बनाए रखा जाएगा और उसका लाभ लिया जाएगा और पट्टेदार या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रुकावट या गड़बड़ी के बिना उसके नवीनीकरण का लाभ लिया जाएगा।

The Lessor agree with the Government of India that the latter paying the rent hereby reserved, observing and performing the conditions and stipulations herein contained on the Government of India's part to be observed and performed shall peacefully hold and enjoy the said premises during the said terms and any renewal thereof without any interruption or disturbance from or by the Lessor or any person claiming by through or under them.

14. यदि भारत सरकार उक्त परिसर का नया पट्टा लेने की इच्छुक होगी, तो इसके द्वारा दी गई अवधि की समाप्ति के बाद पट्टादाता भारत सरकार और पट्टादाता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण के लिए वर्तमान समझौते सहित अनुबंधों, समझौतों और शर्तों के अनुसार नवीनीकरण करेगा।

If the Govt. of India shall be desirous of taking a new lease of the said premises, after the expiration of the term hereby granted the Lessor will renew the lease for a period mutually agreed upon between the Govt. of India and the Lessor, in accordance with the covenants, agreements and conditions as in the present agreement including the present for renewal.

"बशर्ते कि पट्टे की शर्तों की समाप्ति की स्थिति में, जब भी ऊपर वर्णित नवीनीकरण की कार्रवाई पट्टेदार के पास लंबित हो और परिसर वास्तविक कब्जे में रहे, तब तक पुरानी दर पर देय किराया अनंतिम आधार पर भुगतान

किया जाता रहेगा। नवीनीकरण पर अंतिम निर्णय की तारीख या बेदखली की तारीख, जैसा भी मामला हो और अलग-अलग दर पर नवीनीकरण के मामले में, पट्टेदार को अतिरिक्त भुगतान या कटौती द्वारा उपयुक्त समायोजन की अनुमति दी जाएगी।

"Provided that in the event of expiry of the terms of the lease, whenever an action for renewal described above is pending with the lessee and the premises remain in actual occupation, the payable rent at old rate shall continue to be paid on provisional basis till the date of final decision on renewal or the date of eviction, as the case may be and in case of renewal at different rate, suitable adjustment by extra payment or deduction shall be permitted, to Lessee".

"बशर्ते कि पट्टेदार इसके द्वारा दी गई अवधि की समाप्ति के बाद छह महीने की अवधि के भीतर उक्त परिसर का नया पट्टा लेने के लिए यथासंभव कार्रवाई करेगा"।

"Provided further that the Lessee shall take action so far practicable to take a new lease of the said premises within a period of six months after expiry of the term hereby granted".

15. भारत सरकार किसी भी समय पट्टादाता को ऐसा करने के अपने इरादे के बारे में लिखित में तीन महीने की पूर्व सूचना देकर पट्टा समाप्त करने की हकदार होगी।

The Government of India shall be entitled to terminate the lease at any time giving to the Lessor three months' previous notice in writing of its intention to do so.

16. इन वर्तमान के अंतर्गत या उक्त परिसर के संबंध में भारत सरकार को किया जाने वाला या दिया जाने वाला कोई भी नोटिस विधिवत दिया हुआ माना जाएगा यदि पट्टेदार द्वारा डाक के माध्यम से पंजीकृत पत्र द्वारा ..... को संबोधित किया गया हो। ..... भारत सरकार की ओर से, और पट्टादाता को दिए जाने वाले किसी भी नोटिस पर विचार किया जाएगा जैसा कि पट्टेदार द्वारा डाक के माध्यम से पट्टेदार को उनके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर संबोधित पंजीकृत पत्र द्वारा भेजा गया है, विधिवत दिया गया है। किसी भी मामले में डाक द्वारा भेजी गई कोई भी मांग या नोटिस डाक के सामान्य तरीके से वितरित माना जाएगा।

Any notice to be made or given to the Government of India under these present or in connection with the said premises shall be considered as duly given if sent by the **Lessor through** the post by registered letter addressed to the.....  
.....on behalf of the Government of India, and any notice to be given to the Lessor shall be considered as duly given if sent by the Lessee through the post by registered letter addressed to the Lessor at their last known place of abode. Any demand or notice sent by post in either case shall be assumed to have been delivered in the usual course of Post.

17. यदि इन प्रस्तुतियों की विषय वस्तु या यहां निहित किसी अनुबंध, खंड या चीज की व्याख्या या अन्यथा इस पट्टा समझौते से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसे एकमात्र मध्यस्थ वाले ट्रिब्यूनल को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए अनुरोध करते समय, दावेदार को ऐसे अनुरोध के साथ पांच व्यक्तियों का एक पैनल दूसरे पक्ष को भेजना होगा। दूसरा पक्ष ऐसे संचार की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए पैनल के एक सदस्य का चयन करेगा। यदि प्रस्तावित पैनल में से कोई भी दूसरे पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो ऐसा अन्य पक्ष उपरोक्त 15 दिनों के भीतर दावेदार को पांच व्यक्तियों का एक और पैनल भेजेगा, और दावेदार भेजे गए पैनल में से एकमात्र मध्यस्थ को नामित करने का हकदार होगा। विपरीत पक्ष। यदि इस पैनल का कोई भी सदस्य दावेदार को स्वीकार्य नहीं है, तो एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति सचिव, कानूनी मामलों के विभाग, भारत सरकार, दिल्ली द्वारा की जाएगी। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान किसी भी वैधानिक संशोधन और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे जो ..... मध्यस्थता कार्यवाही हिंदी / अंग्रेजी / ..... में आयोजित की जाएगी। \* मध्यस्थता की लागत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार वहन की जाएगी। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, खंड 16 में उल्लिखित अधिकारी भारत सरकार की ओर से कार्य करने और मध्यस्थ को नामित करने के लिए अधिकृत होगा।

Should any dispute or difference arise concerning the subject matter of these presents or interpretation of any covenant, clause or thing herein contained or otherwise arising out of this

lease agreement, the same shall be referred for arbitration to the Tribunal, having, Sole Arbitrator. At the time of making a request for reference of dispute to the arbitration, the claimant shall along with such request send a panel of five persons to the other party. The other party shall within 15 days of the receipt of such communications select one member of the panel to act as Sole Arbitrator. In case none in the proposed panel is acceptable to the other party, such other party shall within the above 15 days send another panel of five persons to claimant, and the claimant shall be entitled to nominate the Sole Arbitrator from among the panel sent by the opposite party. In case none of the members of this panel is acceptable to the claimant, the Sole Arbitrator shall be appointed by the Secretary, Department of Legal Affairs, Government of India, Delhi. The provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 with any statutory modification thereof and rules framed thereunder shall be applicable to such arbitration proceedings which shall be held at.....The arbitration proceedings shall be conducted in Hindi/English/.....\*. The cost of the arbitration shall be borne as directed by the Arbitral Tribunal. For the purposes of this clause, the officer mentioned in clause 16 shall be authorised to act and nominate arbitrator on behalf of the Government of India.

18. यह पट्टा अनुबंध दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है। पट्टा समझौते का एक प्रति भाग पट्टेदार द्वारा और दूसरा पट्टादाता द्वारा रखा जाएगा।

This lease agreement has been executed in duplicate. One counter part of the lease agreement to be retained by the Lessee and the other by the Lessor.

**अनुसूची 'क' ऊपर उल्लिखित है**  
**THE SCHEDULE 'A' REFERRED TO ABOVE**

वह सब ..... इमारत का .....तल जिसे .....शहर में ..... के नाम से जाना जाता है, जिस इमारत पर नगरपालिका क्रमांक ..... अंकित है और यह सर्वेक्षण क्रमांक .....वाले भूखंड/भूमि पर स्थित है।और पूर्व की ओर ..... द्वारा, पश्चिम की ओर ..... द्वारा, उत्तर की ओर .....द्वारा या दक्षिण की ओर ..... द्वारा घिरा हुआ है।

All that the..... The ..... floor of the building known as..... in the city of ..... which building bear Municipal No ..... and is situated on plot/land bearing Survey Nos. .... and is bound on or towards East by ..... on or towards West by ..... on or towards North by ..... or on towards South by .....

**अनुसूची 'ख' ऊपर उल्लिखित है**  
**THE SCHEDULE 'B' REFERRED TO ABOVE**

साक्ष्य में, .....की आधिकारिक मुहर को इसके बाद उल्लिखित तरीके से चिपका दिया गया है और .....द्वारा ऊपर लिखे गए पहले दिन और वर्ष पर भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

IN WITNESS WHERE OF THE OFFICIAL SEAL OF .....has been affixed in the manner hereinafter mentioned and the lease agreement has been signed for and on behalf of the President of India on the day and year first above written by.....

(हस्ताक्षर/Signature)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से/For and on behalf of the President of India

की उपस्थिति में/In the presence of

गवाहों/Witnesses 1 .....

2 .....

एवं पट्टादाता की उपस्थिति में/And by the Lessor in presence of

(हस्ताक्षर/Signature)

गवाहों/Witnesses 1 ..... पट्टादाता का नाम और पता/ Name and Address of the Lessor

2 ..... यदि पट्टादाता एक कंपनी है/ in case the Lessor is a company) फर्म या सोसायटी जोड़ें/Firm or Society Add

के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है  
For and on behalf of having authority to sign on behalf  
पट्टादाता का/ of the Lessor .....  
संकल्प दिनांक ..... के अनुसार)  
vide resolution dated ..... of .....

\* जो हिस्से लागू नहीं हैं उन्हें स्टैंड एंड लीज एग्रीमेंट (एसएलए) प्रारूप भरते समय काटा जा सकता है।

\*Portions which are not applicable may be scored off at the time of filling up of the Stand and Lease Agreement (SLA) format.